मध्यप्रदेश पंचायिका

सितम्बर 2012

संपादकीय परिवार

विश्वमोहन उपाध्याय

राकेश गौतम

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल

भोपाल-462011

फोन : 2764742, 2551330

फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

विगत दिनों भोपाल में कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

खास खबरें : सत्ता में बैठे लोग श्रीराम की तरह आदर्श प्रस्तुत करें 03

महत्वपूर्ण खबरें : आदिवासी विकासखण्डों को आयोडीनयुक्त नमक 08

पुस्तक चर्चा : व्यापक जानकारियाँ हैं तीर्थ-दर्शन पुस्तिका में 10

आवरण कथा : महत्वपूर्ण साबित हुआ ग्रामसभाओं का मौजूदा दौर 11

दृश्य-परिदृश्य : मुख्यमंत्री से मिले ब्रिटिश हाई कमिश्नर 19

विभागीय गतिविधियाँ : उप-यंत्री को दस ग्राम-पंचायतों की जिम्मेदारी - अरुणा शर्मा 21

उपलब्धि : खेती में तकनीकी प्रयोग से हो रहा है लाभ 25

प्रशिक्षण : जनपद पंचायत के आय-व्यय का लेखा 29

पंचायत गजट : गांधी जयंती पर मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन 31

योजना : उद्यानिकी विकास में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना 39

कानून चर्चा : जिला एवं जनपद पंचायत की बैठक में प्रतिनिधि का नामांकन 41

खेती-किसानी : स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और इसका महत्व 45

आपकी बात : 'मर्यादा अभियान' में दाण्डिक प्रावधान भी हो 47

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठकों,

विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों को तीर्थ-दर्शन कराने वाली मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का शुभारम्भ किया। योजना के तहत रामेश्वरम् जाने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर बुजुर्गों का जाना उनके जीवन की गहरी आत्मिक जरूरत पूरी करता है और उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा की महती अभिलाषा होती है। उन्हें तीर्थ दर्शन पर ले जाना बुजुर्गों के प्रति हमारा सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ-दर्शन योजना से उनका एक संकल्प और सपना पूरा हुआ है। इसी खबर को हमने खास खबरें स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम में प्रतिवर्ष चार अनिवार्य ग्राम सभाओं का आयोजन किये जाने का प्रावधान है। पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के लिये पूरी तरह से जवाबदेह भी हैं और सक्षम भी हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं का पैसा अब सीधे पंचायतों को दिया जाता है। उन पैसों का इस्तेमाल विकास कार्यों में कैसे करना है यह निर्णय अब ग्राम सभाओं में होने लगा है जिससे मौजूदा दौर में ग्राम सभाएं सशक्त हो रही हैं। इस जानकारी को हमने आवरण कथा स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों प्रदेश की यात्रा पर आये ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर जेम्स डेविड बेवन से मुलाकात की। इस जानकारी को हमने दृश्य-परिदृश्य के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी व गतिविधियों के संकलन को विभागीय गतिविधियाँ स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है जबकि उपलब्धि स्तम्भ में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। प्रशिक्षण स्तम्भ में जनपद पंचायत को आय के रूप में धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने के अधिकार मिले हैं और रुपयों का हिसाब-किताब किस तरह रखा जाये यह जानकारी प्रकाशित की जा रही है। आगामी दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस जानकारी से संबंधित शासनादेश पंचायत गजट स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। इस माह योजना स्तम्भ में किसानों के लिये उद्यानिकी विकास के क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने वाली योजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद को भी पदेन सदस्य बनाये जाने का प्रावधान है। कानून चर्चा स्तम्भ में इसी जानकारी को प्रकाशित किया है। दुग्ध उत्पादन यदि स्वच्छतापूर्वक एवं उसका भंडारण सावधानीपूर्वक किया जाये तो यह कई बीमारियों से हमें बचाता है। इसी जानकारी को हमने खेती किसानी स्तम्भ के अंतर्गत संकलित किया है। और अंत में आपके पत्रों को आपकी बात स्तम्भ में प्रकाशित किया गया है। यह पत्र हमें अपनी गल्तियों और योजनाओं का फीडबैक देते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना

सत्ता में बैठे लोग श्रीराम की तरह आदर्श प्रस्तुत करें

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के तहत हबीबगंज से रामेश्वरम के लिये पहली ट्रेन को रवाना करते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूलभाव है और मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना इसका सुन्दर उदाहरण है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मेरा एक संकल्प और सपना पूरा हुआ है।

मध्यप्रदेश शासन की अभिनव मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में पहली ट्रेन तीन सितम्बर को हबीबगंज स्टेशन से श्री रामेश्वरम् रवाना हुई। पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ राजनेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस ट्रेन को विधिवत रवाना किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने ट्रेन रवाना करने से पहले तीर्थ-यात्रियों तथा उपस्थित जन-समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को श्रीराम की तरह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये। उन्हें आम लोगों के हित में नित नये अनुकरणीय कार्यक्रम लागू कर सबकी भलाई का मार्ग प्रशस्त करना चाहिये। श्री आडवाणी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कार्यक्रमों में भाग लिया, लेकिन यह एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें उन्हें देव-आराधन की अनुभूति हो रही है। उन्होंने उपस्थित संत-वृंद तथा तीर्थ-यात्रियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यात्रियों को यात्रा की सफलता की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूल भाव है और मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में सभी धर्मों के तीर्थ-स्थल को शामिल कर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका सुंदर उदाहरण सामने रखा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि बुजुर्गों को दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में शामिल किया जायेगा। अधिक गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें इसके अलावा बीमारी निधि योजना से सहायता देकर इलाज की सुविधा दिलवाई जायेगी। प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम खोले जायेंगे, जिनका प्रबंध राज्य सरकार करेगी। राज्य में एक ऐसा कठोर कानून लागू किया जायेगा, जिसमें समर्थ संतानों द्वारा माता-पिता की अनदेखी करने पर उन्हें तीन माह की सजा दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि एक आयोग द्वारा बुजुर्गों के कल्याण की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना से उनका एक संकल्प और सपना पूरा हुआ है। बुजुर्ग पूरे सम्मान के पात्र हैं और उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना बुजुर्गों के चरणों में एक विनम्र नमन है। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह एक ट्रेन रवाना होगी और मार्च के अंत तक 60 हजार बुजुर्गों को तीर्थ-यात्राएँ करवाई जायेंगी। आवश्यकता होने पर इससे अधिक लोगों को भी इसका लाभ दिलवाया जायेगा। तीर्थ-यात्रा के दौरान यात्रियों के भोजन, नाश्ते, ठहरने आदि सहित सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं। यात्राओं में मंत्रीगण तथा निगम-मण्डल अध्यक्ष भी यात्रियों के साथ जाकर उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी धर्मों के साधु-संतों तथा धर्म-गुरुओं का शाल-श्रीफल और पुष्प-हार अर्पित कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कामदगिरि पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामस्वरूपानंद रामानंदाचार्य ने तीर्थ-यात्रियों को तीर्थ-यात्रा के दौरान किस तरह का आचरण किया जाये, इसके संबंध में मार्गदर्शन दिया।

संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने योजना की मुख्य विशेषताओं के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक ऐसी योजनाएँ लागू की हैं, जिनकी न केवल पूरे देश में प्रशंसा की जा रही है, बल्कि उनका अनुकरण भी किया जा रहा है। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी तथा राज्यसभा सदस्य श्री प्रभात झा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना

मुख्यमंत्री ने किया नर्मदा का जल क्षिप्रा को अर्पित

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों इंदौर जिले में क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल क्षिप्रा कुण्ड में नर्मदा नदी का जल अर्पण किया। माँ नर्मदा को क्षिप्रा नदी से मिलाने के लिये 432 करोड़ रुपये की नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना बनायी गयी है। परियोजना से पूरे मालवा क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा जायेगा। दो नदियों नर्मदा तथा क्षिप्रा का संगम होगा तथा बारहमास क्षिप्रा नदी में जल प्रवाहित होगा। इस योजना से मालवा के करीब 70 शहर तथा 3000 गाँव के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हेलीकाप्टर द्वारा सीधे इंदौर संभाग के खरगोन जिले के ग्राम सिसलिया पहुँचकर माँ नर्मदा का जल कलश में लिया। श्री चौहान हेलीकाप्टर से सीधे इंदौर जिले में स्थित क्षिप्रा के उद्गम स्थल क्षिप्रा टेकरी पहुँचे और माँ नर्मदे हर तथा क्षिप्रा मैया की जय के साथ क्षिप्रा कुण्ड में कलश का जल अर्पित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ने का जो सपना देखा था उसे हम इस योजना के माध्यम से पूरा करने जा रहे हैं। इससे क्षिप्रा नदी सदा प्रवाहमान रहेगी।

नर्मदा एवं क्षिप्रा नदी का अनूठा संगम होगा। सिंहस्थ के दौरान धर्मालु एक नहीं दो नदियों के जल से स्नान करेंगे। उन्होंने कहा कि योजना का कार्य शीघ्र शुरू होगा और खरगोन जिले के सिसलिया से इंदौर तक पाईप लाईन से नर्मदा का पानी लाया जायेगा। इसके बाद इंदौर से क्षिप्रा नदी में प्रवाहित किया जायेगा। पहले चरण में पीने के पानी तथा दूसरे चरण में सिंचाई के लिये पानी की आपूर्ति की जायेगी।

इस मौके पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, विधायक श्री जीतू जिराती, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश परसावदिया तथा अन्य जन-प्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के श्री रजनीश वैश्य सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना के मुख्य बिन्दु

उद्वहन द्वारा जल की मात्रा	:	5.0 क्यूबिक मीटर
(अ) राईजिंग मेन की कुल लम्बाई	:	49.00 कि.मी.
(ब) राईजिंग मेन की सड़क के समानांतर लम्बाई	:	28.00 कि.मी.
सिसलिया तालाब की समुद्र तल से ऊंचाई	:	228.00 मी.
ग्राम उज्जैनी के निकट जिजलावंती नाला की समुद्र तल से	:	576.00 मी.
उद्वहन की कुल ऊंचाई	:	348.00 मी.
राईजिंग मेन के पाईप का व्यास	:	2.00 मी. (एक पंक्ति में)
विद्युत मोटर पम्पस्	:	3 नग (3000 कि. वाट प्रत्येक)
भू-अर्जन (अ) वन क्षेत्र	:	5.00 हैक्टेयर
(ब) निजी भूमि	:	70.00 हैक्टेयर
विद्युत मोटर पम्पस् को स्थित करने का स्थाना (Booster Places)	:	प्रथम-सिसलिया तालाब, द्वितीय-ग्राम गवालू, तृतीय-ग्राम बाई
टोपोशीट का क्रमांक	:	46 एन/14, 46 एन/15, 55बी/2, 55 बी/3
योजना की कुल लागत	:	रुपये 432.00 करोड़

सभी ग्रामों में उपलब्ध करवाया जायेगा पेयजल

मध्यप्रदेश जल निगम के जरिये प्रदेश के सभी ग्रामों में पाइप लाइन बिछाकर नलों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह प्राथमिकता का कार्य है। सतही जल का अधिकतम उपयोग कर घर-घर शुद्ध जल पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये तेजी से कार्य करें।

श्री चौहान मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मण्डल की द्वितीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जिस उद्देश्य से मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है उसी भावना से कार्य पूर्ण किए जायें। प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव शेष नहीं रहे जहाँ नल से पानी की उपलब्धता नहीं हो। बैठक में इस महत्वाकांक्षी कार्य को दीर्घजीवी बनाने के लिये सामुदायिक सहभागिता को आवश्यक बताया गया। निगम के प्रबंध संचालक श्री निशांत बरबड़े ने बताया कि गुजरात, पंजाब और कर्नाटक आदि राज्यों के पेयजल प्रबंधन में स्थानीय रहवासियों की प्रमुख भूमिका रहती है। मध्यप्रदेश में ऐसी सहभागिता शून्य है। पेयजल प्रबंधन का सारा कार्य पंचायतें ही करती हैं। ऐसे में अनेक नल-जल योजनाएँ बंद हो जाती हैं। नल-जल योजना प्रारंभ होने के बाद संचालन एवं संधारण में आने वाले व्यय का तीन प्रतिशत सामुदायिक सहभागिता से व्यय किये जाने का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया। संचालक मण्डल ने इसे पाँच प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पहली बार राज्य शासन ने सभी बंद नल-जल योजनाओं के विद्युत बिल भरने के लिये राशि उपलब्ध करवायी है।

बैठक में बताया गया कि जल निगम द्वारा नदी-बाँध आदि सतही जल उपलब्धता तथा सर्वाधिक आवश्यकता के 27 गांवों में परियोजनाएँ प्रस्तावित की गयी हैं। इसके लिये निविदा आमंत्रण का कार्य भी कर लिया गया है। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोतों के माध्यम से परिवार स्तर पर नल-जल कनेक्शन देने के साथ ही सीवरेज निष्पादन के लिये बाहरी वित्त पोषण से ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव संस्थागत वित्त संचालनालय को भेजा गया है। केन्द्र सरकार के प्रावधान अनुसार इसमें से 30 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार करेगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री एस.पी.एस. परिहार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सचिव श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना

जिला स्तर पर सभी बीपीएल और एपीएल प्रकरण मंजूर होंगे

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे परिवारों के साथ ही एपीएल परिवारों के लिए भी अब जिला स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन ने स्वास्थ्य विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक को निर्देश भेजे हैं। ये प्रकरण राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंद्रह वर्ष आयु तक के हृदयरोगी योजना में उपचार की सुविधा प्राप्त करते हैं। रोगियों को एक लाख रुपए तक की अधिकतम राशि मंजूर करने का प्रावधान है। उपचार सहायता राशि स्वीकृति के प्रकरणों को संभागीय समिति से अनुमोदित करवाया जाएगा।

संभाग स्तर पर स्तन कैंसर निदान शिविर लगेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आमतौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी छुपाने की मानसिकता होती है। कई बार आर्थिक अभाव के कारण इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है। स्तन कैंसर की पहचान और निदान के लिये उज्जैन संभाग में की गई पहल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस तरह के शिविर सम्पूर्ण प्रदेश में संभाग स्तर पर लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर होने के पहले ही यदि रोक लिया जाये तो 30 प्रतिशत स्तन कैंसर के मरीजों की जान बचाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के निःशुल्क उपचार के लिए दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता योजना और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से गंभीर बीमारियों के लिये राशि स्वीकृत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही निःशुल्क दवा योजना भी प्रारम्भ होगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्तन कैंसर के ऑपरेशन के लिये निःशुल्क सेवा भाव से लगे हुए इन्दौर कैंसर फाउण्डेशन के डॉ. दिग्पाल धारकर एवं उनकी टीम को मंच पर आमंत्रित कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. धारकर को शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. धारकर को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा एवं पद्म सम्मान के लिये भी उनके नाम की अनुशंसा की जायेगी। इस अवसर पर डॉ. दिग्पाल धारकर ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर 1932 मरीज को प्राथमिक तौर पर जाँच के लिए चिन्हित किया गया। इनमें से 625 मरीज को जिला चिकित्सालय भेजा गया। यहाँ जाँच के उपरान्त335 महिलाओं को संभाग में भेज कर चिकित्सकीय परीक्षण किया गया।

मुख्यमंत्री ने माधव नगर अस्पताल में वार्ड में जाकर स्तन कैंसर का ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों की कुशल-क्षेम पूछी तथा उनको फल वितरित किये। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पारस जैन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं सम्मानीय नागरिक उपस्थित थे।

सागर जिले में हुआ शिक्षकों का सम्मान

शिक्षक दिवस पर सागर जिले के गढ़ाकोटा में गुरुजनों का सम्मान किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने क्षेत्र के 311 सेवानिवृत्त शिक्षकों और 2500 कार्यरत शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई गईं। पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि गुरु की गरिमा की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम ही होगी।

मार्गदर्शन अथवा सुझाव देने एक मिस काल करें - समारोह में मौजूद वरिष्ठ गुरुजनों से पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने अपील की कि वे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर क्षेत्र के विकास, कार्य-पद्धति में सुधार के लिये अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सुझाव जरूर दें। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर एक मिस काल कर दें हम रिंग बेक कर आपसे सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

मंत्री ने की गुरुजन की अगुवाई - पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने गुरुजन सम्मान समारोह में वाहन में बैठकर आये सेवानिवृत्त गुरुजन की अगुवाई समारोह-स्थल के मुख्य द्वार पर खड़े रहकर स्वयं की। उन्होंने वयोवृद्ध गुरुजनोंसेशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे। श्री भार्गव ने अन्य सभी अतिथियों को पुष्प भेंट कर उनकी अगवानी की।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह

शिक्षक ही राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं

राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने गत दिनों राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। श्री यादव ने कहा कि यदि शिक्षा छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं कर सकती है तो ऐसी शिक्षा मूल्यहीन है। चरित्रवान नागरिकों का निर्माण ही शिक्षा का एक सर्वमान्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षित करने के साथ ही युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्य, ईमानदारी, कर्तव्य-परायणता, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता और चरित्र आदि संस्कार देने का दायित्व शिक्षकों का ही है। श्री यादव ने कहा कि महात्मा गांधी शिक्षकों को एजेंट ऑफ सोशल चेंज मानते थे। उन्होंने जिन सात नैतिक अपराध की चर्चा यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में की थी उनमें से एक है- चरित्र के बिना ज्ञान। इस दृष्टि से भी समाज की जिम्मेदार पीढ़ी तैयार करने का दायित्व शिक्षकों पर ही है। उन्होंने कहा कि देश और समाज के प्रति समर्पित गुरु सही शिक्षा के जरिये इतिहास बदल सकते हैं।

श्री यादव ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी और वे लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे। राधाकृष्णन जी की दृढ़ मान्यता थी कि गंभीर से गंभीर समस्या का समाधान आपसी संवाद और बातचीत के लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। राधाकृष्णन जी ने भारतीय दर्शन को दुनिया में प्रतिष्ठापित किया। उनका मानना था कि शिक्षक को मात्र अध्यापन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को अपनी योग्यता, निपुणता और आचरण से छात्रों का स्नेह और आदर भी अर्जित करना चाहिए।

समारोह में राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने इस वर्ष के राज्य स्तरीय सम्मान से प्रदेश के छह शिक्षकों को सम्मानित किया। श्री यादव ने वर्ष 2011 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 13 शिक्षकों का भी सम्मान किया। उन्होंने योग शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री पवन गुरु को एक लाख रुपये की सम्मान राशि, प्रशस्ति-पत्र, शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। यह पुरस्कार इसी वर्ष से प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक संगोष्ठी में प्रत्येक जिले से प्रतिभागी के रूप में दो-दो शिक्षक में से अंतिम रूप से चयनित दो शिक्षक, सतना के श्री शंकरदयाल दीक्षित और गुना की श्रीमती मधुबाला सक्सेना को पाँच-पाँच हजार की राशि से सम्मानित किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा कि अच्छी शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि शिक्षक छात्रों को इस प्रकार शिक्षित करें कि उनके आचरण और व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्य नजर आयें। डॉ. राधाकृष्णन को याद करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के दर्शन को दुनिया में आज जो गौरव प्राप्त हुआ है उसके पीछे डॉ. राधाकृष्णन का दृढ़ संकल्प है।

आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री विजय शाह ने कहा कि शिक्षक शिक्षा दान कर दूसरों के लिए जीने की प्रेरणापूर्ण मिसाल प्रस्तुत करते हैं। गुरुजन उन्नत समाज और देश के भविष्य के निर्माण के लिए आने वाली पीढ़ी को शुरुआती दिनों से ही जो दिशा देते हैं उसके लिए शिक्षकों को सम्मानित करना गौरव की बात है। श्री शाह ने कहा कि गंतव्य तक वही पहुँच सका है जिनके सपनों में शक्ति और हौसलों में जान थी।

पूर्व में राज्यपाल श्री यादव ने माँ सरस्वती और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारम्भ किया। कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, वंदेमातरम् और मध्यप्रदेश गान प्रस्तुत किया गया।

औषधीय पौधे भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में "अभिनंदन" फोल्डर का विमोचन किया गया। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्री संजय सिंह ने स्वागत भाषण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्कूल शिक्षा आयुक्त श्री अरुण कोचर ने स्मृति स्वरूप अतिथियों को पुस्तकें भेंट कीं। स्कूल शिक्षा संचालक श्री अवधनारायण मिश्रा ने आभार माना।

आदिवासी विकासखण्डों को आयोडीनयुक्त नमक

राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति बहुल विकास खण्ड वाले बीस जिलों के लिए 2853 मीट्रिक टन आयोडीनयुक्त नमक का आवंटन किया है। प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति बहुल विकास खण्ड में प्रति राशन कार्ड एक रुपये एक किलोग्राम की रियायती दर पर आयोडीनयुक्त नमक दिया जा रहा है। शासन ने संबंधित जिलों के कलेक्टर को उनके जिले के अजजा ब्लॉक में बीपीएल, एपीएल एवं एएवाय योजना के राशनकार्डों पर आयोडीनयुक्त नमक का वितरण सुनिश्चित रूप से करवाने के निर्देश दिये हैं। इन जिलों में श्योपुरकला, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, रतलाम, बैतूल, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर शामिल है। उल्लेखनीय है कि इन बीस जिलों के अजजा बहुल विकास खण्ड में एपीएल, बीपीएल, एएवाय के कुल 28 लाख 52 हजार 719 राशन कार्ड प्रचलित हैं। इनमें एपीएल के 13 लाख 70 हजार 394, बीपीएल के 10 लाख 99 हजार 547 और एएवाय के 3 लाख 82 हजार 778 राशन कार्ड हैं। सबसे अधिक 434 मीट्रिक टन आयोडीनयुक्त नमक धार जिले को फिर 307 मीट्रिक टन बड़वानी, 239 मीट्रिक टन खरगोन, 231 मीट्रिक टन मण्डला, 225 मीट्रिक टन बैतूल, 186 मीट्रिक टन शहडोल, 183 मीट्रिक टन झाबुआ, 176 मीट्रिक टन डिण्डोरी, 171 मीट्रिक टन अनूपपुर, 141 मीट्रिक टन सिवनी, 127 मीट्रिक टन अलीराजपुर तथा शेष अन्य जिलों को आवंटित किया गया है। आवंटित नमक की यह मात्रा आगामी मार्च 2013 तक रहेगी।

अनुसूचित वर्ग के छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 725 विद्यार्थियों को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जबलपुर, महिला पॉलीटेक्निक जबलपुर, सरदार वल्लभभाई पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भोपाल, महिला पॉलीटेक्निक भोपाल, ग्वालियर, महिला पॉलीटेक्निक ग्वालियर, धार, उज्जैन, इंदौर, महिला पॉलीटेक्निक इंदौर, विदिशा, बालाघाट, दमोह, हरदा, जावरा, खण्डवा, खिरसाडोह, नौगाँव, सनावद, सिवनी, सतना, शहडोल और सागर में 25-25 सीट हैं। इसी तरह शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अशोकनगर, खुरई, बुरहानपुर, खरगोन, पचोर और राघौगढ़ में 20-20 तथा सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफारमेंस (क्रिस्प) भोपाल में 30 सीट हैं।

चौदह परियोजनाओं में सलाहकार मण्डल बने

राज्य शासन ने 14 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के सलाहकार मंडलों में (दो वर्ष अथवा निर्वाचन अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए) अध्यक्ष का मनोनयन किया है। मनोनीत अध्यक्षों में श्री कमल मर्सकोले, विधायक बरघाट को कुरई (सिवनी), श्री नागरसिंह चौहान, विधायक अलीराजपुर को अलीराजपुर, श्री रामराव कवड़ेती, विधायक, पांढुर्ना छिंदवाड़ा को सौंसर, श्री जयसिंह मरावी, विधायक, जैतपुर और राज्यमंत्री को शहडोल, श्री जमना सिंह विधायक भगवानपुरा जिला खरगोन को खरगोन, श्री माखन सिंह सोलंकी, सांसद खरगोन को महेश्वर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री मोती कश्यप विधायक बड़वारा, को कुण्डम (जबलपुर), श्री सुदामा सिंह सिंग्राम विधायक पुष्पराजगढ़ को पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), श्री देवीसिंह पटेल विधायक बड़वानी को बड़वानी, श्रीकुंवर विजय शाह विधायक एवं मंत्री को खंडवा, श्रीमती रंजना बघेल विधायक एवं राज्यमंत्री को धार, श्री मुकामसिंह किराड़े विधायक कुक्षी को कुक्षी, श्री जगन्नाथ सिंह विधायक एवं मंत्री को देवसर (सिंगरौली) और कुंवर संजय शाह, विधायक टिमरनी को हरदा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

आठ कॉलेजों में बनेंगी आदर्श प्रयोगशालाएं

प्रदेश के 8 शासकीय महाविद्यालय की प्रयोगशाला को आदर्श प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक करोड़ 81 लाख 61 हजार 286 रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से प्रयोगशाला के लिए नवीन उपकरण खरीदे जाएँगे। आदर्श प्रयोगशाला बनाने के लिए शासकीय शंभूनाथ शुक्ला महाविद्यालय शहडोल को 27 लाख 80 हजार, स्नातक महाविद्यालय नरसिंहपुर को 13 लाख 88 हजार 88, आर.व्ही.पी.एस. महाविद्यालय उमरिया को 24 लाख 35 हजार, विजयाराजे स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मुरार जिला ग्वालियर को 19 लाख 46 हजार, भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय महू जिला इंदौर को 23 लाख 36 हजार, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाजापुर को 33 लाख, स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी को 13 लाख 76 हजार

180 और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह को 26 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। आयुक्त उच्च शिक्षा ने संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया है कि खरीदी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का विधिवत परीक्षण जरूर किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय एवं भुगतान की जिम्मेदारी भी संबंधित प्राचार्य की होगी।

पंचायतों को आवंटित किये एक सौ अट्ठाईस करोड़ रुपये

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला और जनपद पंचायतों को विकास कार्यों के लिये 1 अरब 28 करोड़ 25 लाख रुपये आवंटित करने के निर्देश जारी किये हैं। इस राशि में से प्रत्येक जिला पंचायत को एक-एक करोड़ तथा प्रत्येक जनपद पंचायत को 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की जा रही है। प्रदेश की कुल जिला पंचायतों को 50 करोड़ रुपये और सभी313 जनपद पंचायतों को कुल 78 करोड़ 25 लाख की राशि मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रदेश को परफारमेंस ग्रांट वर्ष 2011-12 के लिये 82 करोड़ 70 लाख तथा अन्य राज्यों के नॉन परफारमेंस ग्रांट की राशि 57 करोड़ 32 लाख, इस तरह 140 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त इस राशि का उपयोग निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिये किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद पंचायतें 25 लाख की राशि अपने क्षेत्र के ग्रामीण विकास कार्यों में खर्च करेगी। इस राशि से होने वाले कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा सभी निर्माण कार्य जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुचारु रूप से सम्पन्न होंगे।

हायर सेकेण्डरी स्कूलों के व्याख्याता राजपत्रित

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्याख्याताओं के पदों की स्थिति में कोई संशोधन अथवा विलोपन की कार्रवाई नहीं की गई है। इन विद्यालयों के व्याख्याता यथावत द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) में ही हैं। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अरुण कोचर ने बताया कि मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 के नियम-3 की अनुसूची तीन के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित में रखा गया है। उन्होंने बताया कि इन नियमों का प्रकाशन मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र में 14 सितम्बर 1984 को किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 की अनुसूची अनुसार उल्लेखित वेतनमान में प्रतिस्थापन की कार्यवाही की गई है और इसका प्रकाशन4 अगस्त, 2012 को किया गया है। इस कार्रवाई का आशय कदापि यह नहीं है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याताओं को अराजपत्रित श्रेणी में रखा गया है। कुल जमा यह कि नियम 1984 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्याख्याता द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) में ही हैं।

❑ शुभम दुबे

उन्नत धान की फसल के लिए राजीव सागर बांध से सिंचाई प्रारम्भ

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की अन्तर्राज्यीय वृहद सिंचाई परियोजना राजीव सागर (बावनथड़ी) मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के उन्नत धान की फसल उगाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजीव सागर परियोजना के बांध का निर्माण मध्यप्रदेश ने किया है। बांध के निर्माण के पहले साल ही जल संग्रहण के पश्चात् किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने लगा है। इससे मध्यप्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिले लाभान्वित होंगे। धान की फसल के लिए विगत 23 अगस्त को पानी छोड़ा गया। राजीव सागर बांध से मध्यप्रदेश के 29 हजार 412 हैक्टेयर और महाराष्ट्र के 27 हजार 708 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन श्री एम.जी. चौबे ने बताया है कि बालाघाट जिला उन्नत धान की फसल के लिए विख्यात है। धान की फसल को सितम्बर-अक्टूबर माह में पानी की आवश्यकता होती है। जल संसाधन विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए 30 अगस्त को ही पानी उपलब्ध करवा दिया है। श्री चौबे ने बताया कि राजीव सागर बांध की नहर का वारासिवनी शाखा नहर से जुड़ाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। 100 वर्ष पुरानी वारासिवनी नहर में जल प्रवाह क्षमता सीमित थी लेकिन राजीव सागर बांध से पानी की आवक मिलने से नहर की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है।

धान उत्पादक क्षेत्र कटंगी, रायपायली, वारासिवनी और खैरलांजी क्षेत्र में समय पर और भरपूर पानी मिलने से धान की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

❑ चन्द्रशेखर साकल्ले

व्यापक जानकारियाँ हैं तीर्थ-दर्शन पुस्तिका में

मुख्यमंत्री निवास पर सम्पन्न 'वृद्धजन पंचायत' में प्रदेश के वरिष्ठजन के लिये जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे उनमें से एक निर्णय यह भी था कि प्रदेश सरकार वृद्धजन को सरकारी खर्च पर तीर्थाटन करवायेगी। इसी योजना को मूर्तरूप दिया गया - 'मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना' के रूप में। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने इसी योजना पर केन्द्रित एक प्रचार पुस्तिका का प्रकाशन भी किया है। चालीस पृष्ठों की इस एक बहुरंगी पुस्तिका में वो सभी जानकारी है जो किसी भी योजना को समझने और समझाने के लिये जरूरी होती है।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के बारे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि - "तीर्थस्थलों पर बुजुर्गों का जाना उनके जीवन की गहरी आत्मिक जरूरत पूरी करती है। उन्हें तीर्थ-दर्शन पर ले जाना बुजुर्गों के प्रति हमारा सम्मान है।" इस योजना के मंतव्य को तो स्पष्ट करता ही है साथ ही तीर्थ-दर्शन का वरिष्ठजन के लिये क्या महत्व है इसे भी स्पष्ट करता है। इसी पुस्तिका में प्रदेश के धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री लक्ष्मीकान्त शर्मा यह कहते हैं कि 'बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा की सुविधा देकर, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं' - तो यह उनकी विनम्रता ही है। यह योजना वस्तुत; पुस्तिका में मुखपृष्ठ पर छपी 'पंच लाईन' के अनुरूप ही है - 'बुजुर्गों के सम्मान में एक विनम्र पहल'।

इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के वे तमाम मूल निवासी जो साठ साल से अधिक उम्र के हैं, शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से सक्षम हैं, टीबी और कुष्ठ जैसे किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं है, तीर्थ-दर्शन योजना का पहले लाभ नहीं लिया है और आयकरदाता न हो तो वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पैंसठ साल से ज्यादा उम्र वाले तीर्थयात्रियों के साथ एक सहायक भी ले जाया जा सकेगा। यह सहायक अट्ठारह से पचास वर्ष के बीच का होगा। पति-पत्नी साथ यात्रा करेंगे तो सहायक की सुविधा नहीं मिलेगी। इस योजना में पति या पत्नी में से कोई भी एक चुना जाता है तो दूसरा भी साथ जा सकेगा चाहे उसकी उम्र साठ साल से कम क्यों न हो। इस तीर्थ-दर्शन के लिये वृद्धजन पच्चीस सदस्यों तक के समूह में भी जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में सभी धर्मों के सत्रह तीर्थ स्थानों श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, हरिद्वार (सभी उत्तराखण्ड में), श्री जगन्नाथपुरी (उड़ीसा), श्री द्वारकापुरी (गुजरात), श्री अमरनाथ और वैष्णोदेवी (दोनों जम्मू-कश्मीर), शिरडी (महाराष्ट्र), तिरुपती बालाजी (आंध्रप्रदेश), अजमेर शरीफ (राजस्थान), काशी उत्तरप्रदेश, गया (बिहार), अमृतसर (पंजाब), सम्मेद शिखरजी (झारखण्ड), श्रवण बेनगोला (कर्नाटक) और रामेश्वरम् जी और वेलांगणी चर्च नागपट्टनम (दोनों तमिलनाडु) शामिल हैं।

* मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना (प्रचार पुस्तिका) * प्रकाशक - मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग * आकल्पन - मध्यप्रदेश माध्यम * मुद्रण - दृष्टि ऑफसेट

'वॉश', बच्चे और प्रशिक्षण की जरूरत

समर्थन, सेव द चिल्ड्रन और वाटर एड संस्थाओं द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बच्चों को पेयजल व स्वच्छता से जुड़े अधिकार दिलवाये जाने संबंधी 'वॉश' कार्यक्रम के सन्दर्भ में एक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में यह प्रशिक्षण वैधानिक व्यवस्थाएं एवं जवाबदेही प्रोत्साहन से जुड़ा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य टीम के सदस्यों को बच्चों के लिये स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल व स्वास्थ्य अधिकारों को हासिल करने में समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों का उचित मार्गदर्शन करना है। प्रशिक्षक का दूसरा उद्देश्य स्थानीय निकायों द्वारा बच्चों को वॉश सुविधाएं सुलभ करवाने तथा समुदाय की 'वाश' संबंधित पारम्परिक आदतों में बदलाव के लिये माहौल बनवाने का भी होगा। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य एक ऐसे कार्यदल को तैयार करने का है जो वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने में भी समर्थ होगा।

इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में तीन दिनों में बारह सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रशिक्षण से जुड़ा यह सूत्र वाक्य प्रशिक्षण के मिजाज को भी स्पष्ट करता है जिसमें कहा गया है कि - 'बच्चों से संबंधित किसी भी मामले में बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।' कुल मिलाकर यह एक उपयोगी और सार्थक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका है।

* प्रशिक्षण मार्गदर्शिका * प्रकाशक - सेव द चिल्ड्रन, समर्थन और वॉटर एड * मुद्रक - शिवानी प्रिण्टर्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)

❑ राजा दुबे

महत्वपूर्ण साबित हुआ ग्रामसभाओं का मौजूदा दौर

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई है। ग्राम सभा की साल में कम से कम चार बैठक होना अनिवार्य है। इन बैठकों में ग्राम पंचायतों को अपने सभी कार्यों, खर्चों और प्रस्तावों का अनुमोदन कराना जरूरी है। प्रदेश में होने वाली इन चरणबद्ध ग्राम सभाओं की बैठकें पंचायत सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

ग्राम पंचायतों में एक दौर वो था जब गाँव में पंचायतें निर्माण कार्यों के मामले में प्रस्ताव और ठहराव तक सीमित होते थे। हाट बाजार में वसूला जाने वाले शुल्क पंचायत की आमदनी का नियमित हफ्तावार जरिया होता था। हड्डी ठेके से नीलामी पंचायतों की सालाना आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता था और जब स्थानीय ठेकेदारों की तुलना में पंचायत से कुछ दूर स्थित कोई बोन-मिल प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऊँची कीमत देकर ठेका लेती थी तो पंचायतों के लिये वो जश्न का सबब होता था। ये वो दिन थे जब पंचायत क्षेत्रों में निर्माण कार्य कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट ब्लॉक के माध्यम से होते थे। और बाद में जब चौहत्तरवें संविधान संशोधन से 'पंचायत राज' - 'पंचायत एवं ग्राम स्वराज' में तब्दील हुआ तो हर पंचायत में ग्रामवार ग्रामसभाओं का विचार सामने आया। नए पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने तो 'ग्रामसभा' को ग्राम संसद बना दिया।

नए स्वरूप में पंचायतें अपने क्षेत्र में विकास के लिये परी तौर से जवाबदेह भी हैं और सक्षम भी। लगभग सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का पैसा अब सीधा पंचायतों को दिया जाता है और राज्य सरकार ने भी पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से अब पंचायतों को विकास कार्यों की राशि एकमुश्त देना आरम्भ कर दी है। इन प्रबंधों से पंचायतें ज्यादा स्वायत्त और ग्रामसभाएं ज्यादा अधिकार सम्पत्व हो गई है। ग्रामसभाएं ग्राम विकास के मामले में ज्यादा मुखर और केन्द्रीय भूमिका निभायें इस दृष्टि से ग्रामसभाओं की साल में चार बैठकें अनिवार्यत; होती हैं जो गणतंत्र दिवस, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर होती हैं। इन ग्रामसभाओं में पंचायतों का सरकारी कामकाज तो होता ही है साथ ही कुछ योजनाओं कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा भी होती है।

महत्वपूर्ण थी स्वतंत्रता दिवस वाली ग्रामसभा - पन्द्रह अगस्त दो हजार बारह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष आयोजित ग्रामसभा इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण थी कि इस ग्रामसभा में ग्राम विकास से जुड़े एकाधिक विषयों पर चर्चा हुई। इस बार की ग्रामसभा में गाँव वालों ने राष्ट्रीय ध्वज तो फहराया ही साथ ही राष्ट्र

'मनरेगा' पर चर्चा जरूरी है

'मनरेगा' इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाली सबसे प्रमुख योजना है अतः लगभग हर ग्रामसभा में इस योजना की चर्चा को तो जरूरी करार दिया जाता है। इस बार भी ग्रामसभा में इस योजना के क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा हुई। मनरेगा योजना के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण अब अधिनियम के तहत ही वांछित है अत; इस बार भी प्रदेश की सभी ग्रामसभाओं में मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की चर्चा भी की गई। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि मनरेगा के तहत पंचायतों के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों के साथ प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तपोषित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी करवाना होता है।

के लिये प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों, संतों और समाज सुधारकों सहित उन सभी महापुरुषों को याद किया जो देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के लिये सदैव याद किये जायेंगे। इस बार भी राज्य में सम्पन्न ग्रामसभाओं में इन महापुरुषों को याद किया गया। जनजातीय आबादी बहुल बड़वानी जिले में ढाबला वाबड़ी ग्रामसभा में सन् अट्ठारह सौ सत्तावन ने जनयोद्धा भीमा नायक का पुण्य स्मरण किया गया और ग्रामसभा ने भीमा नायक के वंशजों को सम्मानित करने और राज्य शासन द्वारा उन्हें सम्मान निधि दिये जाने पर आभार व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस वाली ग्रामसभा चूँकि वर्षाकाल में आयोजित होती है अत; इस ग्रामसभा में संभावित वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा भी की और मौसम के कारण जलजन्य रोगों के संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की और गाँव में ए.एन.एम. आती हैं या नहीं यह पड़ताल भी की। ग्रामसभा ने टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा भी की।

लोक सेवाओं की गारंटी वाले कानून पर भी चर्चा की गई - राज्य शासन ने जनता से जुड़े कुछ प्रशासकीय और निर्माण विभागों की सेवाएं सामान्य जनता को समय पर मिले इसके लिये मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम बनाये थे। सरकार ने इन नियमों को कानून का दर्जा भी दिया था। इसी कानून के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवाएं सामान्य जनता को कितने दिन में निश्चित रूप से मिलना हैं इसकी गारंटी के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार भी इन ग्रामसभाओं में किया गया। इस कानून के तहत आवेदन करने, अपील करने, मामले का पुनरीक्षण करवाने, समय पर सेवा न प्रदान करने पर लोक सेवक से शास्ति वसूल करने तथा प्रतिकर का भुगतान करने की जानकारी भी इन ग्रामसभाओं में दी गई।

समग्र स्वच्छता अभियान पर सतर्क नजर आये ग्रामीण - इस बार ग्रामसभाओं में समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गाँव में अभी तक की प्रगति पर व्यापक चर्चा की गई। भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी इस बार देश भर की सभी ग्राम पंचायतों से अगस्त माह में कभी भी एक दिन 'समग्र स्वच्छता कार्यक्रम' पर विचार के लिये एक विशेष ग्रामसभा के आयोजन का आग्रह भी किया था। प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों ने न सिर्फ समग्र स्वच्छता अभियान अपितु निर्मल भारत योजना के तहत भी पंचायतों को सौंपे गए कार्यक्रमों पर बातचीत की। प्रदेश की सभी ग्रामसभाओं में इस बार राज्य सरकार द्वारा आरंभ किये गये 'मर्यादा अभियान' पर भी व्यापक चर्चा की। मर्यादा अभियान के अंतर्गत गाँवों में खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये ग्रामसभाओं ने गाँव के सभी परिवारों में व्यक्तिगत शौचालयों की कायमी की समीक्षा भी की। ग्रामसभाओं ने 'मर्यादा अभियान' के अंतर्गत जनजागरण से जुड़े कार्यक्रमों का निश्चय भी दोहराया।

कुपोषण से मुक्ति का संकल्प भी दोहराया - इस बार भी गाँवों में कुपोषण की समस्या पर लगभग सभी ग्रामसभाओं में गहरी चिंता व्यक्त की गई और बच्चों के कुपोषण से निपटने के लिये तो कड़े उपायों की बात भी कही। इसी सन्दर्भ में एजेण्डे के अनुसार सभी ग्रामसभाओं में यह संकल्प भी दोहराया गया कि गाँव के सभी

छः वर्ष उम्र तक के बच्चे आँगनवाड़ी केन्द्रों में जायें यह तो सुनिश्चित किया ही जाएगा साथ ही इस आयु वर्ग का गाँव का कोई भी कुपोषित बच्चा आँगनवाड़ी जाने से वंचित न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश की कई ग्रामसभाओं ने तो इस अवसर पर अपने गाँव को कुपोषण मुक्त करने का संकल्प भी दोहराया।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई - इस बार की ग्रामसभाओं में एक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मध्याह्न भोजन योजना' पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ। शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की संख्या एवं उन्हें दिये जा रहे मध्याह्न भोजन का पूरा-पूरा विवरण इन ग्रामसभाओं में प्रस्तुत किया गया। इस बार ग्रामसभाओं में मध्याह्न भोजन के लिये स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों के प्रवेश दिलवाये जाने की बात भी कही गई। ग्रामसभाओं ने मध्याह्न भोजन से जुड़े प्रत्येक मद में आवण्टन बढ़ाने की बात भी कही गई ताकि मध्याह्न भोजन के रूप में ज्यादा से ज्यादा पोषण आहार अथवा पोषक तत्वों का प्रदाय गाँव के बच्चों में हो सके।

पेयजल की सुलभता और निरन्तरता जाँची गई - गाँवों में यदि पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है तो बारिश में ग्रामीण आबादी नदी, तालाब या कुओं का पानी पीने के लिये उपयोग में लेते हैं। इस कारण ही जलजन्य रोगों का संक्रमण इन दिनों अपने चरण पर रहता है। ऐसे गाँवों में जहाँ स्वच्छ पेयजल का एक भी स्रोत है वहाँ तो उसी स्रोत से पानी पीने की समझाईश ग्रामसभा में दी गई जबकि ऐसे गाँवों में जहां पेयजल का एक भी स्रोत नहीं उपलब्ध नहीं था वहां गांव में स्वच्छ पेयजल परिवहन के माध्यम से घर-घर पहुँचाने की व्यवस्था की गई। उन ग्राम पंचायतों में जहाँ पेयजल में फ्लोराईड अथवा दीगर प्रदूषित धातु तत्व आते हैं वहाँ ग्रामसभा में ऐसे जल का परीक्षण कर गाँव में स्वच्छ पेयजल प्रदाय का संकल्प ग्रामसभा में दोहराया गया।

नर्मदा तो हमारे दिल में बसी है

इस बार उन गाँवों में जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं वहाँ नर्मदा के किनारों पर हरियाली के विस्तार के लिये 'हरियाली चुनरी' और जिन गाँवों में नर्मदा परिक्रमा का काम होता है वहाँ 'नर्मदा परिक्रमा पथ विकास' योजना पर भी ग्रामसभाओं में व्यापक चर्चा की गई। बड़वानी जिले की छोटी कसरावद ग्राम पंचायत के कई गाँव जो नर्मदा के किनारे बसे थे वो सरदार सरोवर बांध के कारण डूब में आ गये थे। ऐसे ही एक डूब चुके गाँव का पुनर्वास 'नई बस्ती' के रूप में किया गया है। इसी पुनर्वासित पंचायत के सरपंच किशोर डावर ने ग्रामसभा में बताया कि वे नर्मदा तट से दूर आ गये तो क्या हम 'हरियाली' की चूनर से मां नर्मदा को सज्जित करेंगे। इसी नई बस्ती के एक किसान प्रकाश कुमावत ने बताया कि नर्मदा तो हमारे लिये जीवनदायिनी है वो तो हमारे दिल में बसी है और हमारा इस नदी से अटूट संबंध था और आगे भी रहेगा। पंचायत की ग्रामसभा में सभी पुनर्वास प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।

ग्रामसभा में पेन्शन पाने वालों का हितचिंतन भी किया गया - हमेशा की तरह इस बार भी ग्रामसभाओं में विभिन्न कमजोर वर्ग के ग्रामीणों को दी जाने वाली पेन्शन राशि दिने की भी समीक्षा की गई। राज्य सरकार द्वारा निराश्रितों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेन्शन पाने वाले हितग्राहियों, केन्द्र शासन की इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अंतर्गत पेन्शन वाले हितग्राहियों और दीगर पेन्शन योजनाओं के हितग्राहियों को भी समय पर पेन्शन मिल रही है अथवा नहीं इसकी पड़ताल भी इन ग्रामसभाओं में की गई। ग्रामसभाओं में पेन्शन पाने वाले ऐसे सभी हितग्राहियों की सूची तो पढ़कर सुनाई ही गई साथ ही तमाम लम्बित मामलों में भी स्थिति क्या है इसकी जानकारी भी हितग्राहियों को दी गई।

पंचायतों में अब कोई आवासहीन नहीं रहेगा - ग्राम पंचायतों में आवासहीनों को मकान मुहैया करवाने की सबसे प्रचलित योजना इन्दिरा आवास योजना है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त आवण्टन की सीमित राशि को देखते हुए राज्य शासन ने भी ग्रामीण आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना आरंभ की है। इस बार की ग्रामसभाओं में इस महत्वाकांक्षी योजना की

जानकारी ग्रामसभा में दी। ग्रामसभाओं में गाँव में रहने वाले सभी आवासहीनों की सूची भी पढ़कर सुनाई गई। जिन हितग्राहियों को आवास प्रदान किए गए हैं और जिन हितग्राहियों का नाम प्रतीक्षा सूची में है उसकी सूची भी पढ़कर सुनाई गई। जनजातीय इलाकों में जहाँ गाँव की आबादी फल्यों और पारों में रहती है वहाँ आवासगृहों को बस्ती के स्थान पर पृथक-पृथक बनवाने की अनुमति भी दी जाये यह प्रस्ताव भी विभिन्न ग्रामसभाओं ने पारित किया।

गरीबी मिटाने से ही विकास सम्भव - ग्रामीण विकास के लिये यह जरूरी है कि गाँव के सभी ऐसे ग्रामीणों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको विभिन्न रोजगार एवं आजीविका परियोजनाओं की मदद से गरीबी की रेखा के ऊपर उठाना। इसी सन्दर्भ में पिछले दिनों सम्पन्न ग्रामसभाओं में एजेण्डे के अनुसार बी.पी.एल. सूची का वाचन हुआ और किसी भी हितग्राही को यह अवसर भी दिया गया कि वो ग्रामसभा में यह पूछ सके कि किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिये उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन का क्या हुआ?

ग्रामसभाओं में यह जानकारी भी दी गई कि गाँव में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर कितने ग्रामीण गरीबी की रेखा के ऊपर आ गये हैं।

पंच परमेश्वर योजना पर भी हुई चर्चा - इस बार की ग्रामसभा में पंच परमेश्वर योजना पर भी व्यापक चर्चा हुई। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत गाँवों को विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत जो राशि प्राप्त होती है उसे एकमुश्त पंचायतों को यह राशि दी जाने से पंचायतों को समय पर लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। इस बार ग्रामसभाओं में इस बात के लिये सरकार के प्रति आभार भी ज्ञापित किया गया कि सरकार ने पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से निर्माण कार्यों में आने वाले उस अवरोध को मिटा दिया है जो आवण्टन न मिलने के कारण अभी तक आ जाते थे।

ग्रामसभाओं में कई नए विषयों पर भी चर्चा हुई - मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना यद्यपि इस बार की ग्रामसभा के एजेण्डे का विषय नहीं था मगर प्रदेश की कुछ ग्रामसभाओं में इस विषय पर चर्चा भी हुई और सेन्धवा के पास चाटली पंचायत की ग्रामसभा में तो ग्रामीणों ने यह मुद्दा भी उठाया कि तीर्थ-दर्शन योजना में ग्रामीणों के लिये पृथक से आरक्षण दिया जाये। इतना ही नहीं दो साल बाद यदि तीर्थयात्री दोबारा तीर्थ-दर्शन पर जाना चाहे तो उसे भी अवसर दें। कुल मिलाकर पन्द्रह अगस्त से आरम्भ होने वाली इन चरणबद्ध ग्रामसभाओं में स्थानीय एजेण्डे के अलावा ग्रामसभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बार राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया था कि पंचायतें इस ग्रामसभा में वे विषय भी विचारार्थ ले सकती हैं जिन पर पिछली ग्रामसभा में चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। इसी प्रावधान के अंतर्गत धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन जिलों में कई ग्रामसभाओं में वन अधिकार के पट्टों पर चर्चा की गई।

अठावा का उदाहरण दिया गया

जनजातीय अंचल में आलीराजपुर जिले से जुड़े जिलों की ग्रामसभाओं में 'स्कूल चलें अभियान' से जुड़े उस प्रयोग का उदाहरण दिया गया। अठावा ग्राम पंचायत ने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने का नया और नायाब तरीका आज से पन्द्रह साल पहले खोजा था। पंचायत ने तब यह तय किया था कि यदि कोई परिवार अपने स्कूल जाने योग्य बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा तो उसके पिता को दो घण्टे स्कूल में आकर बैठना पड़ेगा। इस ग्राम पंचायत के निर्णय का असर यह हुआ कि पन्द्रह साल पहले गाँव में साक्षरता का प्रतिशत पचास फीसदी से भी कम था वो साक्षरता का प्रतिशत आज बढ़कर पिच्यासी प्रतिशत हो गया है। स्कूल भेजे जाने के इस प्रयोग का ही यह असर है कि इस गांव के बच्चे आज सम्मानजनक नौकरी कर रहे हैं, कोई उसी स्कूल में शिक्षक है तो कोई वाणिज्यकर निरीक्षक।

❑ नवीन पुरोहित

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेन्स

कॉन्फ्रेन्स के नतीजों पर बनेगी विशेष कार्ययोजना

मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेन्स को रस्मी स्वरूप दिये जाने से बचाने और उसकी सार्थकता को साबित करने के लिये यह घोषणा की है कि इस कॉन्फ्रेन्स के निष्कर्षों के आधार पर प्रदेश के अगले एक वर्ष के विकास की समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाएगी। कार्ययोजना का क्रियान्वयन आगामी अक्टूबर माह से होगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रायमरी सेक्टर में मध्यप्रदेश के देश में प्रथम स्थान पर रहने औसत विकास दर में देश में दूसरे स्थान पर रहने की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह पड़ाव है मंजिल नहीं। विकास की दिशा में प्रदेश को अभी बहुत आगे जाना है। प्रदेश के विकास की इन्हीं सम्भावनाओं के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जज्बे और जुनून के साथ काम करके बेहतर परिणाम देने की बात भी कही। औसत विकास दर, कृषि से जुड़े प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्षों की विकास दर की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास की दर यह दिखाती है कि बीते वर्षों में प्रदेश में किए गए प्रयासों के परिणाम मिलने लगे हैं।

प्रदेश ने तय की सात प्राथमिकताएं - कॉन्फ्रेन्स में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर काम करें और अपनी समूची क्षमता का उपयोग करें तो हम मध्यप्रदेश के भविष्य को बदल सकते हैं। यदि हम लोगों की सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बनाते हैं तथा उनके जीवन स्तर में सुधार की कोशिश करते हैं तो उससे समग्र विकास का वातावरण बनता है। मध्यप्रदेश में इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकास का रोड मैप तैयार कर सात प्राथमिकताएं तय की गई हैं - अधोसंरचना विकास, ऊर्जा, सिंचाई, उद्योग, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। कॉन्फ्रेन्स में यह भी बताया गया कि इन लक्ष्यों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल विकास करने, गरीबों को कल्याण योजनाओं का साथ निर्बाध पहुँचाने और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया कि विकास का प्रकाश आम आदमी तक पहुँचे और सुशासन के परिणाम सबको मिलें, इसी दिशा में काम करें। प्रदेश में पदस्थ प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी का यह दायित्व है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और मध्यप्रदेश को देश का अव्वल राज्य बनायें।

संवाद, संवेदनशीलता और समाधान जरूरी - कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नरों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि वे मैदानी दौरे करें, आम लोगों से संवाद करें, पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याएं सुनें और उनका मौके पर ही समाधान भी करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन में लोगों को अटूट विश्वास होना

'टीम मध्यप्रदेश' ही लायेगी परिवर्तन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेन्स में यह स्पष्ट किया कि तीनों स्तर के लोक सेवक - कमिश्नर, कलेक्टर और एस.पी. और मंत्रिपरिषद् के सदस्य मिलकर ही 'टीम मध्यप्रदेश' बनती है। ऊर्जा और अनुभव से सम्पन्न यह टीम ही पूरे प्रदेश में विकास और परिवर्तन लाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत और जनहित के कार्यों को उत्साह और आनन्द के साथ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और टीम मध्यप्रदेश यदि इसी उत्साह और आनन्द के साथ काम करेगी तो वो प्रदेश में विकास की लहर भी ला पायेगी और परिवर्तन भी सुनिश्चित हो सकेगा। श्री चौहान ने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन तंत्र गरीबों के कल्याण के लिये हैं और 'टीम मध्यप्रदेश' गरीबों के कल्याण के इसी लक्ष्य को सामने रखकर काम कर कर रही है।

चाहिए। उन्होंने प्रशासन तन्त्र के इन शीर्षस्थ अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि के जमीनी सच्चाई जानने के लिये दौरा करें और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखें और समय रहते उनकी कमियों को दूर करें। कलेक्टर और पुलिस अधिकारी मिल कर जनहित में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भगवद्गीता के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए कुशल प्रशासक के लिये ऊर्जावान, अहंकार शून्य, उत्साह से परिपूर्ण, राग-द्वेष से परे और सफलता असफलता में समभाव रखना जरूरी है। भ्रष्टाचार के नियंत्रण के संबंध में उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से इस पर प्रभावी नियंत्रण होगा। पंच परमेश्वर, मर्यादा अभियान, बेटी बचाओ अभियान और मुख्यमंत्री सड़क विकास परियोजना जैसी नवाचारी पहल की चर्चा करते हुए कहा कि लोगों के हित में इनका समय पर क्रियान्वयन होना चाहिये। कॉन्फ्रेन्स में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों के एक अस्पताल का प्रशासनिक संचालन और सभी कमिश्नर मेडिकल संस्थान के देख रेख की जिम्मेदारी उठायें।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू होगा - सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों को हितग्राहीमूलक योजनाओं को एक स्थान पर लाने और एक स्थान से लाभ देने के लिये प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए जाने की घोषणा भी कॉन्फ्रेन्स में की गई। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संभावित हितग्राहियों का डाटा बैंक और विशेष, सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 'मुख्यमंत्री समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन' कायम किया जाएगा और मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय कोष भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिये सबसे ज्यादा योजनाएँ चलाई जा रही हैं कलेक्टरों को चाहिए कि वे इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। कॉन्फ्रेन्स में जिले में कम से कम एक बार विशाल स्वास्थ्य मेला आयोजित करने और गांव के ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके लिये मध्याह्न भोजन जैसी भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर बदलने की लोक सेवा भी गारंटी-शुदा - कॉन्फ्रेन्स में खराब विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के कार्य को लोक सेवा गारंटी कानून की परिधि में लाने के निर्देश दिये हैं। खराब ट्रांसफार्मर की मोबाइल से एस.एम.एस. द्वारा सूचना दिये जाने की प्रणाली में फोन पर शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था शामिल करने के निर्देश भी दिये गए। कॉन्फ्रेन्स में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कलेक्टर अपनी कार्यसूची में ऊर्जा विभाग के कार्यों को भी शामिल करें। कॉन्फ्रेन्स में यह सुझाव भी दिया गया कि जिले के लोक कल्याण शिविरों में विद्युत कम्पनी के अधिकारी भी उपस्थित रहें। कॉन्फ्रेन्स में विजिलेन्स टीम को वास्तविक कार्यवाही करने और कनेक्शन

नवाचार की खुलकर सराहना

बैतूल और रीवा जिले के दोनों कलेक्टरों को पिछले दिनों कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेन्स में सराहा गया और उनके नवाचारों का अनुसरण बाकी जिलों द्वारा भी किये जाने की बात कही। बैतूल कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता मामलों में नवाचारों की जानकारी दी तो रीवा कलेक्टर शिवनारायण रूपला ने मध्याह्न भोजन, पेन्शन के वितरण और पोषण आहार संबंधी मामलों में नवाचारों की जानकारी दी। रीवा में तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन और निशक्तजन पेंशन के वितरण को जारी करने वाले दिन ही हितग्राहियों को मिल जाने की व्यवस्था की है। कॉन्फ्रेन्स में इसकी काफी सराहना हुई।

नहीं होने पर भी बिजली खपत बिल जारी होने की प्रक्रिया रोके जाने की बात भी कॉन्फ्रेन्स में कही गई। कॉन्फ्रेन्स में विद्युत चोरी रोकने की बात भी कही गई। इस मामले में कलेक्टर कमिश्नर द्वारा विशेष रुचि लेने की बात भी कही। कॉन्फ्रेन्स में विद्युत फीडर विभक्तीकरण का काम भी जल्दी से जल्दी निपटाने की बात भी कही।

प्रदेश की खनिज नीति की जटिलताएं दूर होंगी - कॉन्फ्रेन्स में यह जानकारी भी दी गई कि खनिज क्षेत्र में प्रदेश में विकेन्द्रीकरण और सरलीकरण के साथ ही पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है तथापि प्रदेश की खनिज नीति में जो जटिलताएं विद्यमान हैं जिन पर सम्पूर्णता से विचार करने के बाद समाधान की कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश की खनिज नीति की प्रशंसा करते हुए कॉन्फ्रेन्स में बताया गया कि भारत सरकार भी इस खनिज नीति को आदर्श नीति मानती है। कॉन्फ्रेन्स में मुख्य खनि रियायत स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने, जिलों में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण की रोकथाम के लिये गठित टास्क फोर्स की नियमित समीक्षा और प्रदेश में अवैध उत्खनन और परिवहन को सख्ती से रोकने की बात भी कही। कॉन्फ्रेन्स में पांच हैक्टेयर से कम आकार की खदानों में भी पर्यावरणीय समिति की सहमति अनिवार्य करने, खनिज आधारित उद्योगों के लिये एक सौ अट्ठारह करारनामे करने और खनिज परिवहन में लगे वाहनों के पंजीयन जरूरी किये जाने की बात कही।

राजस्व से जुड़े मामलों में फैसले जल्द होंगे - कमिश्नर, कलेक्टर कॉन्फ्रेन्स में राजस्व से जुड़े मामलों में बताया गया कि प्राप्त सुझावों पर दो हिस्सों में कार्रवाई होगी। तात्कालिक महत्व के राजस्व से जुड़े मामलों पर तत्काल प्रभाव से फैसले लिये जायेंगे और नीतिगत विषयों पर विचार कर दीर्षकालिक फैसले लिये जायेंगे। कॉन्फ्रेन्स में बताया गया कि राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, अर्थदण्ड, अपीलीय प्रावधानों आदि विषयों को सरल तथा उपयोगी बनाने के लिये भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है और त्वरित निराकरण तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिये कुछ प्रावधानों को और बदला जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, भू-अर्जन प्रक्रिया, शासकीय परिसम्पत्तियों के दस्तावेजीकरण, फसल कटाई और बन्दोबस्ती कामकाज को भी सरल किया जायेगा। पटवारी रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के बाद किसानों को केवल कम्प्यूटराईज्ड नक्शा और बी-वन देने का निर्णय भी बताया गया। कॉन्फ्रेन्स में यह भी बताया गया कि छत्तीस जिलों में जो सोलह हजार हैक्टेयर भूमि उद्योगों को सौंपी जानी है वो तत्काल सौंपी जाये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी- कॉन्फ्रेन्स में बताया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में गरीबों के लिये आवण्टित अनाज का हर हालत में उन्हीं तक समय

जिला स्तर पर कैंसर निवारण शिविर

उज्जैन संभाग में कमिश्नर की पहल पर कैंसर रोग निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेन्स में मुख्यमंत्री जी ने इसे एक अनुकरणीय कदम बताया और प्रदेशभर में पहले संभाग स्तर पर और बाद में जिला स्तर पर कैंसर निवारण शिविरों का आयोजन किया जाये यह निर्देश भी विभाग प्रमुख को दिये। उज्जैन के कैंसर रोग निवारण शिविर में लगभग ढाई हजार संभावित रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण दिया गया। रोग के परीक्षण के बाद उपचार के साथ ही बयालिस आपरेशन भी किए गए। मुख्यमंत्री जी ने इस शिविर के आयोजन के लिये कमिश्नर व टीम को बधाई दी।

से पहुँचना सुनिश्चित करने और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिये गये। यह भी बताया गया कि नई वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक पालिसी से दो वर्षों में साठ लाख टन भण्डारण की क्षमता विकसित की जायेगी। एक प्रभावशाली वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक पॉलिसी बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। कॉन्फ्रेन्स में प्रदेश में गेहूं के उपार्जन नीति की सफलता और धान उपार्जन की नीति की भी समीक्षा की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गाँवों में ज्यादा से ज्यादा चलित राशन दुकानें (मोबाईल दुकानें) कायम करने की बात भी कही गई।

प्रदेश में शहरी स्वास्थ्य मिशन का गठन होगा - कॉन्फ्रेन्स में स्वास्थ्य संबंधी सत्र में यह बताया गया कि मध्यप्रदेश में शीघ्र ही शहरी स्वास्थ्य मिशन का गठन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिये पदस्थ 'आशा कार्यकर्ता' की तरह ही शहरी क्षेत्रों में आठ हजार 'उषा कार्यकर्ता' पदस्थ की जायेंगी। कॉन्फ्रेन्स में यह जानकारी भी दी गई कि प्रदेश के सभी जिलों में डायलिसिस केन्द्र खोले जायेंगे और भ्रूण परीक्षण पर कड़े प्रतिबन्ध के लिये निजी नर्सिंग होम्स के नियमन का कानून भी जल्द ही बनाया जायेगा। कॉन्फ्रेन्स में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किये जाने वाले मामले में कलेक्टर की अहम् भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि आपके खड़े होने की देर है, व्यवस्थाएं निश्चित रूप से बेहतर होंगी। कॉन्फ्रेन्स में जलजन्य रोगों के संक्रमण रोकने पर भी व्यापक चर्चा की गई। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना और जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की चर्चा की। कॉन्फ्रेन्स में उपस्थित मंत्रिगण गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई और रंजना बघेल ने क्रमशः नेत्र शिविरों के आयोजन, डायगोनोस्टिक केन्द्र की कायमी और प्राथमिक उपचार से इतर व्यवस्था की बात भी कही।

कौशल विकास से युवाओं को मिलेगा रोजगार - प्रदेश में प्रत्येक नौजवान का कौशल विकास करना और उसे रोजगार प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है यह जानकारी भी कॉन्फ्रेन्स में दी गई। प्रदेश के वे नौजवान जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अर्थहीन उच्च शिक्षा दिये जाने के स्थान पर कौशल उन्नयन का कार्य मिशन के रूप में किये जाने की बात भी कही। कॉन्फ्रेन्स में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारी कोशिश आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप परम्परागत कारीगरों और दस्तकारों के कौशल विकास करने की है। कॉन्फ्रेन्स में प्रत्येक जिले में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करने और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुव्यवस्थित करने की बात भी कही।

सरकारी कार्यक्रमों में बेटियों का सम्मान होगा - प्रदेश में हर शासकीय कार्यक्रम में बेटियों का सम्मान किया जायेगा और एक बेटी वाले परिवारों के सम्मान के कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। यह बात मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेन्स में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के प्रति अपराधों को पूरी तरह समाप्त करने के लिये प्रभावी रणनीति बनाई जायेगी। बेटी बचाओ अभियान, महिला सशक्तीकरण और बालिकाओं को कुपोषण से बचाव की बात भी कही गई। कॉन्फ्रेन्स में एक हजार दो सौ इकतीस नई आँगनवाड़ी खोलने की बात भी कही गई।

कानून व्यवस्था की कायमी में प्रदेश को अव्वल बनाना है - कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेन्स में सरकार ने यह संकल्प दोहराया कि कानून व्यवस्था की कायमी के मामले में मध्यप्रदेश को देश में अव्वल बनाना है। मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि यदि प्रदेश में शांति और सुरक्षा नहीं है तो समूचा विकास बेकार हो जायेगा। कॉन्फ्रेन्स में बताया गया कि मध्यप्रदेश 'शान्ति का टापू' है, डाकू समस्या प्रायः समाप्तप्राय है, नक्सली हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और गुण्डों के खिलाफ राज्य में व्यापक कार्यवाही की जा रही है। कॉन्फ्रेन्स में आम आदमी के खाकी वर्दी के प्रति विश्वास और अपराधियों में खौफ की बात भी कही।

❑ संध्या दुबे

मुख्यमंत्री से मिले ब्रिटिश हाई कमिश्नर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गत दिनों भोपाल में ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर जेम्स डेविड बेवन ने मुलाकात की। श्री डेविड ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के कार्यकाल की सराहना की और मध्यप्रदेश में ब्रिटिश औद्योगिक निवेश की मंशा व्यक्त की। विगत दिनों मध्यप्रदेश में साँची बौद्ध एवं ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में शिरकत करने आये श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे का भोपाल में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई दिल्ली में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये निवेशकों से चर्चा की। गत दिनों मुख्यमंत्री ने जापान सरकार के कुष्ठ रोग निवारण मिशन के सद्भावना दूत एवं निपॉन फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री येहोई सासाकावा से भी मुलाकात कर कहा कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास की कार्य योजना बनायी जायेगी। यह जानकारी नवीन पुरोहित ने संकलित की है।

मुख्यमंत्री मिले ब्रिटिश हाई कमिश्नर से

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर जेम्स डेविड बेवन ने भेंट की। श्री डेविड ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के शासनकाल की सराहना करते हुए उनकी सफलता का राज पूछा। उन्होंने मध्यप्रदेश में ब्रिटिश औद्योगिक निवेश की प्रबल

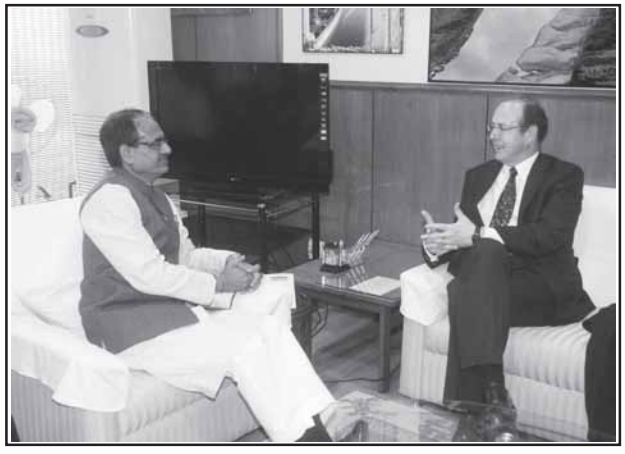

मंशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश समग्र विकास का उदाहरण है और राज्य की प्रगति प्रभावित करने वाली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरा व्यवहार कभी राजनीतिज्ञ और शासक का नहीं रहा। जन-प्रतिनिधि वास्तव में जनता का सेवक होता है। सबको अपनाया, सबसे प्रेम पाया। गरीब और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का हित हमारी प्राथमिकता है। बेहतर और अच्छे कार्यों से जनमानस हमारे साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में है। प्रदेश की विकास दर 11.98 प्रतिशत और कृषि विकास दर 18 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास, खेती तथा औद्योगिक प्रगति के लिये किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स में ब्रिटिश योगदान की सराहना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट को प्रदेश में, स्वास्थ्य, नगरीय अधोसंरचना विकास, कुपोषण दूर करने, मातृत्व-सुरक्षा, वित्तीय-प्रबंधन, विद्युत आदि परियोजनाओं में दिये गये वित्तीय योगदान के लिये धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन्दौर में अगले माह होने वाली ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट में हाई कमिश्नर के माध्यम से ब्रिटिश निवेशकों को आमंत्रित किया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे का आत्मीय स्वागत

श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे के भोपाल पहुँचने पर राज्यपाल श्री रामनरेश यादव और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज विमान तल पर उनका आत्मीय स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे एयर इंडिया के विशेष विमान से राजा भोज विमान तल के पुराने टर्मिनल पर पहुँचे। राज्यपाल श्री रामनरेश यादव और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे का पुष्पगुच्छ तथा शाल-श्रीफल भेंटकर स्वागत

किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ आये 34 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का भी तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डिण्डोरी जिले के आदिवासी गुदंमबाजा दल और सागर के वरेदी लोक नृतक दल ने नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे ने रायसेन जिले के साँची में बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

मुख्यमंत्री रूबरू हुए दिल्ली में निवेशकों से

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न रियायतों सहित इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने के साथ ही अन्य सुविधाएँ तय की हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा- सोलर, वायु, बायोमास और छोटी पनबिजली योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी एक नई योजना बनायी गयी है। श्री चौहान गत दिनों दिल्ली में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री अजय विश्नोई भी शामिल थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने www.mpnred.com वेबसाइट भी लांच की। श्री चौहान ने निवेशकों को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित

करते हुए कहा कि प्रदेश में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। श्री चौहान ने बताया कि गुजरात और राजस्थान के बाद मध्यप्रदेश में सूर्य का प्रकाश काफी लम्बे समय तक आता है जिसका दोहन किया जाना चाहिये। श्री चौहान ने बताया कि पहले मध्यप्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता था लेकिन अब आठ साल में हुए विकास कार्यों से विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। प्रदेश की विकास दर पिछले साल 11.89 प्रतिशत थी और कृषि में विकास दर 18 प्रतिशत हो गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है। आज मध्यप्रदेश 8 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहा है। सन् 2013 तक हर गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य तय कर काम शुरू किये गये हैं।

मुख्यमंत्री सद्भावना राजदूत से मिले

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास की कार्य योजना बनायी

जायेगी। कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन डेढ़ सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात जापान सरकार के कुष्ठ रोग निवारण मिशन के सद्भावना राजदूत और निपॉन फाउन्डेशन के अध्यक्ष श्री येहोई सासाकावा से मुलाकात के दौरान कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री सासाकावा कुष्ठ रोगियों की सेवा का पुनीत कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार उनके मिशन में सभी संभव सहयोग करेगी। कुष्ठ रोगी समाज का ऐसा तबका है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को आवास के पट्टे देने और अन्त्योदय अन्न योजना में राशन कार्ड देने की योजना बनायी जायेगी। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों के उपचार और उन्हें रोजगार के लिये प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। कुष्ठ रोगियों की कॉलोनियों में स्वास्थ्य केंद्र और आँगनवाड़ी शुरू करने के लिये सर्वे करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार निपॉन फाउन्डेशन के साथ मिलकर काम करेगी। इस मौके पर श्री सासाकावा ने कहा कि वे भारत में कुष्ठ रोगी की सेवा के लिये वर्ष 1980 से काम कर रहे हैं। बताया गया कि मध्यप्रदेश में 34 कॉलोनियों में करीब 3,750 कुष्ठ रोगी रहते हैं।

उप-यंत्री को दस ग्राम-पंचायतों की जिम्मेदारी - अरुणा शर्मा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संचालित निर्माण कार्यों के संबंध में नव-चयनित प्रत्येक संविदा उप-यंत्री को 10 ग्राम-पंचायत के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। गत दिनों बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने उप-यंत्रियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वे सफलता के लिये हमेशा गुणात्मकता पर ध्यान दें। कार्यशाला में चयनित सभी 969 संविदा उप-यंत्रियों को ग्रामीण निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया।

इससे पहले आयुक्त मनरेगा श्री नीरज मण्डलोई ने कार्यशाला के प्रतिभागी उप-यंत्रियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी। कार्यशाला में आयुक्त पंचायत श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने बताया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और पंच-परमेश्वर योजना सहित अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है। उप-यंत्रियों की कमी दूर हो जाने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अधूरे निर्माण शीघ्र पूरे हो सकेंगे, वहीं नये कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे हो जायेंगे। इस अवसर पर मनरेगा तथा प्रमुख उप-योजनाओं, कन्वर्जेंस, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा वित्तीय अनुशासन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। अंत में संयुक्त आयुक्त श्री शैलेन्द्र खरे ने आभार प्रदर्शित किया।

उल्लेखनीय है कि तकनीकी अमले और इंजीनियरों की कमी की वजह से ग्रामीण विकास कार्यों के क्रियान्वयन में दिक्कतें बनी रहती थीं। निर्माण कार्यों के एस्टीमेट, ड्राइंग और डिजाइनिंग की उपलब्धता समय पर नहीं होने से विकास कार्यो की शुरुआत में देरी होती थी। अब नव-चयनित संविदा उप-यंत्रियों की उपलब्धता से यह सभी काम निर्धारित समय में हो सकेंगे। एक दिवसीय इस कार्यशाला में प्रतिभागी उप-यंत्रियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला में शामिल उप-यंत्रियों के पंजीयन तथा प्रशिक्षण सामग्री वितरण के लिये 10 विशेष काउंटर स्थापित किये गये थे।

❑ देवेन्द्र जोशी

गाँव के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है राज्य सरकार

अनुसूचित जाति कल्याण राज्यमंत्री श्री हरिशंकर खटीक ने कहा है कि गाँव के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत को विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। श्री खटीक पिछले दिनों टीकमगढ़ जिले के जतारा में लोक कल्याण शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सागर कमिश्नर श्री आर.के. माथुर भी मौजूद थे।

श्री खटीक ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके की भलाई की योजना बनाई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुँचाने में सहयोग का आग्रह किया।

कमिश्नर सागर श्री माथुर ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समस्त कर्मियों से बेहतर तालमेल रखकर जनहित के कामों को तत्परता के साथ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि जिले के ग्राम आरोग्य केन्द्र में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण के लिए एक दिन नियत किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने ग्राम सुरक्षा समितियों की गतिविधियों की जानकारी दी। लोक कल्याण शिविर को नगर पंचायत अध्यक्ष श्री जगदीशशरण नायक ने भी संबोधित किया।

स्कॉच डिजीटल इन्क्लूजन अवार्ड मध्यप्रदेश को

❑ देवेन्द्र जोशी

मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिये बनाये गये सॉफ्टवेयर को "स्कॉच डिजीटल इन्क्लूजन अवार्ड-2012" से पुरस्कृत किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय-स्तर पर चुने गये श्रेष्ठतम 100 प्रोजेक्ट में से मेरिट की श्रेणी में शामिल करते हुए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। केन्द्रीय विधि एवं न्याय तथा अल्प-संख्यक मामलों के मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने गत दिनों नई दिल्ली में एक समारोह में मध्यप्रदेश को यह प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयुक्त मनरेगा श्री रवीन्द्र पस्तोर तथा मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री एच.पी. शिवहरे ने अवार्ड प्राप्त किया।

राष्ट्रीय-स्तर पर रिफार्म मैनेजमेंट तथा नवाचार के लिये कार्य कर रही संस्था स्कॉच द्वारा डिजिटल इन्क्लूजन अवार्ड-2012 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस अवसर पर सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी भारत सरकार श्री जे. सत्यनारायण खासतौर से मौजूद थे। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एनआईसी के माध्यम से तैयार किये गये जीईओ सर्च सॉफ्टवेयर को भी इस वर्ष 10 जुलाई, 2012 को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इस सॉफ्टवेयर को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से "अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ई-गवर्नेंस इनीशियेटिव इन मध्यप्रदेश" का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना में 500 तक की आबादी वाले सामान्य गाँव और 250 तक की आबादी वाले अनुसूचित-जनजाति बहुल गाँव को बारहमासी ग्रेवल सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। यह ऐसे गाँव हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में शामिल नहीं हो पाये हैं। मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना में प्रदेश में 18 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी बारहमासी पक्की सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। इन सड़कों पर करीब 33 हजार पुल-पुलियों का निर्माण भी हो रहा है। इस योजना में मनरेगा के जरिये श्रम एवं सामग्री के 60:40 के अनुपात में कार्य करवाया जा रहा है। बीआरजीएफ जिलों में बीआरजीएफ मद से तथा गैर-बीआरजीएफ जिलों में राज्य मद से पुल-पुलियाओं का निर्माण हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल से इस योजना के क्रियान्वयन में काफी तेजी भी आयी है।

बाल वैज्ञानिक सोना बाई ने पानी से जलाया स्टोव

प्रतिभा किसी सुविधा या उम्र की मोहताज नहीं होती है, यदि मन में अगर कुछ करने की लगन हो तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सोना बाई ने। अनूपपुर जिले के आदिवासी अंचल पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बेनीबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं की छात्रा सोना बाई ने अपने हुनर और लगन से पानी से स्टोव जलाने का करिश्मा कर दिखाया है। अनूपपुर जिला मुख्यालय में आयोजित तीन दिवसीय इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम में सोना बाई ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पानी से स्टोव जलाया। उन्हें आयोजन समिति के निर्णायक मण्डल द्वारा इस कार्य के लिये प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने इस प्रयोग के बारे में सोना बाई ने बताया कि स्टोव में दो टंकियां रखी गई हैं, जिसमें पहली टंकी में तेल भरा जाता है जबकि दूसरी टंकी में पानी भरा होता है। सर्वप्रथम स्टोव जलाने की शुरुआत मिट्टी के तेल से भरी टंकी से की जाती है। जब स्टोव का बर्नर गर्म हो जाता है, तब मिट्टी के तेल की सप्लाई बंद कर दी जाती है और पानी की सप्लाई प्रारंभ कर दी जाती है और मिट्टी का तेल न मिलने के बाद भी स्टोव जलता रहता है। इसका कारण उन्होंने बताया कि स्टोव जलने के कारण गर्म बर्नर में पानी छोड़ने पर पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है चूंकि ऑक्सीजन ज्वलनशील होने के कारण हाइड्रोजन को जलने में मदद करती है।

उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है और इस पूरी क्रिया में 50 प्रतिशत से भी अधिक कैरोसीन की बचत होती है। सोना बाई ने कहा कि मैंने अपने इस प्रयोग का प्रदर्शन प्रदर्शनी के निर्णायक मण्डल के सदस्यों एवं प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों के सामने भी किया।

❑ गजेन्द्र द्विवेदी

यू.एन. वूमेन कार्यक्रम से हुआ महिला सशक्तीकरण

समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में अब पुरुषों के बराबर होने लगी है। पहले पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं और पुरुष घर का मुखिया होता था जिससे महिलाओं के अधिकारों पर भी पुरुषों का दबदबा होता था। समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया जा रहा यू.एन. वूमेन महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम भी महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में काफी कारगर साबित हो रहा है। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दक्षिण एशिया के पाँच प्रमुख देशों में संचालित किया जा रहा है। भारत में यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश सहित उड़ीसा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक के जिलों की जनपद पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम महिलाओं के राजनैतिक नेतृत्व एवं जेन्डर संवेदी स्व-शासन पर केन्द्रित है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का सशक्तीकरण करना है जिससे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वहन कर सकें और विकास कार्यों की प्रक्रिया में सहभागी बनकर अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर सकें। मध्यप्रदेश में यू.एन. वूमेन महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम अगस्त 2011 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुरुआती चरण में प्रदेश के दो जिले झाबुआ और सीहोर को जोड़ा गया तथा कार्यक्रम की सफलता के बाद जुलाई2012 में सागर जिले को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया इस प्रकार अब तक प्रदेश के तीन जिलों में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मध्यप्रदेश में यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये स्टेट स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की पहली बैठक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें पंचायतराज व्यवस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता और सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा की गई।

यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन एवं संस्थागत सहायता के लिये भारत सरकार ने एन.आई.आर.डी. हैदराबाद को कार्यक्रम का नोडल संस्थान बनाया है। एन.आई.आर.डी. हैदराबाद ने यू.एन. वूमेन कार्यक्रम को एकरूपता प्रदान करने के लिये जनवरी 2012 में एक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मध्यप्रदेश समेत पाँचों राज्यों (उड़ीसा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक) के मास्टर्स ट्रेनर्स ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया ताकि वे अपने राज्यों में प्रभावशाली प्रशिक्षण दे सकें। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी को मध्यप्रदेश में कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। कार्यक्रम में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय-समय पर महिला जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें अब तक झाबुआ जिले के 46 प्रशिक्षकों, 30 प्रेरकों एवं 18 महिला सरपंचों को प्रशिक्षित किया गया है वहीं सीहोर जिले के 43 प्रशिक्षकों, 26 प्रेरकों, 33 सरपंचों/पंचों एवं 25 पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित किया गया है। यू.एन. वूमेन राज्य स्टेरिंग कमेटी की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री राकेश सिंह ने बताया कि वर्तमान में कार्यक्रम के अंतर्गत झाबुआ जिले में वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा एवं पंचायत की नियमित बैठकें आधिकारिक रूप से आयोजित की जा रही हैं, जिसमें महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत बढ़ा है और वे महिलाओं से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं को वार्ड सभा, महिला सभा एवं ग्राम सभा में उठाती हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों पर भी महिलायें विस्तृत रूप से चर्चा करती हैं एवं आवश्यक कार्ययोजना निर्मित करती हैं। आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय श्री विश्वमोहन उपाध्याय द्वारा पंच परमेश्वर योजना पर प्रकाश डालते हुये तैयार किये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव कराया गया जो नियमित रूप से प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को विस्तृत जानकारी के रूप में प्रदाय की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंच परमेश्वर योजना का लाभ प्रत्येक ग्राम पंचायत को मिले और जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास हो तभी यह प्रयास सार्थक होंगे। सीहोर जिले में महिला सरपंच/पंच प्रशिक्षण में पंचायतराज संचालनालय की संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण श्रीमती सबीना निनामा ने कहा कि राजनैतिक नेतृत्व में महिलाओं का योगदान विकास का पथ प्रदर्शक साबित होगा। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों का प्रतिफल अब ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के रूप में देखने को मिल रहा है।

❑ हरिओम गुप्ता

यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के तहत झाबुआ ने तय किये नये आयाम

महली सशक्तीकरण की दिशा में हो रहे प्रयास अब सार्थक होने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाये जा रहे यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में हो रहे कार्य महिलाओं की राजनैतिक नेतृत्व क्षमता और सामुदायिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने में काफी सफल हो रहे हैं। झाबुआ जिले में यू.एन. वूमेन कार्यक्रम सफलता के नये आयाम तय कर रहा है। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम झाबुआ जिले की छ; जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में प्रतिवर्ष, 100 विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कराया जाता है, जिसमें गांव के अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं। इन विशेष ग्राम सभाओं में गांव के विकास व समस्याओं से जुड़े सभी मुद्दों पर बारी-बारी से चर्चा की जाती है और इसके साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा कर उनका समाधान किया जाता है। इन विशेष ग्राम सभाओं में शासन के समस्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद होते हैं और वह अपने विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हैं और विभाग से संबंधित समस्याओं का निवारण भी करते हैं। इन विशेष ग्राम सभाओं के अलावा गांव के सभी वार्डों में वार्ड सभा एवं महिला सभा भी आयोजित की जाती है।

इन सभाओं में महिलाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है एवं उनसे जुड़े हुए प्रस्ताव भी पारित किये जाते हैं। इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को ग्राम सभा के अधिकारों एवं महत्व के प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं को गांव की सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति एवं भागीदारी देने के लिये प्रेरित करना है। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम में इस कार्य के लिये ग्राम पंचायतों में प्रेरकों की नियुक्ति की गई है। प्रेरक का कर्तव्य इन सभाओं का संचालन करना एवं लोगों को ग्राम सभा की जानकारी देना और उन्हें ग्राम सभा में भाग लेने के लिये प्रेरित करना है।

यू.एन. वूमेन द्वारा इस कार्य के लिये प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण इस कार्यक्रम की एक मुख्य गतिविधि है। यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला जनप्रतिनिधियों को जागरूक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं जिनमें महिलाओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के तहत 17 से 20 सितम्बर 2012 तक झाबुआ जिले की महिला जनप्रतिनिधियों, पंचायत स्तरीय अधिकारियों एवं यू.एन. वूमेन परियोजना में कार्यरत प्रेरकों का एक्सपोजर विजिट महाराष्ट्र राज्य के अहमद जिले की ग्राम पंचायत हिरवे बाजार और रालेगांव सिद्धी में आयोजित किया गया। इस एक्सपोजर विजिट में कुल 96 लोग शामिल हुए जिनमें 42 महिला जनप्रतिनिधि, 4 महिला प्रेरक सुपरवाइजर एवं 43 प्रेरक, 7 सचिव तथा ग्राम सभा सदस्यों ने भाग लिया। विजिट में सबसे पहले ग्राम पंचायत हिरवे बाजार का भ्रमण कराया गया जिसमें सदस्यों ने यह देखा कि किस तरह 226 परिवार वाले छोटे से गांव ने मेहनत कर अपने गांव को भारत का श्रेष्ठ गांव बनाया। वहां ग्राम सभा और पंचायत लेखा कार्य में पारदर्शिता, लोगों की एकजुटता और गांव के विकास के लिये प्रतिबद्धता भी देखने को मिली। ग्राम पंचायत हिरवे बाजार में 226 परिवारों में कोई भी परिवार बी.पी.एल. कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे) धारक नहीं है और गांव वाले गर्व से इस बात को कहते हैं कि हम शासकीय तौर पर अमीर हैं। ग्राम पंचायत हिरवे बाजार ने ऐसे नियम बनाये हैं जो किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं हैं जैसे - गांव की जमीन गांव के बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बेची जाये, पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध, मवेशियों को खुले में चराने पर प्रतिबन्ध, खुले में शौच, थूकने और धूम्रपान करने पर प्रतिबन्ध लगाया है। एक्सपोजर विजिट के दौरान ग्राम पंचायत रालेगांव सिद्धी का भी दौरा किया गया जिसमें यह जाना कि किस तरह गांव ने एकजुट होकर गांव के विकास के लिये काम किया। रालेगांव सिद्धी के लोगों ने एकजुट होकर विकास के लिये कई ऐसे कार्य किये हैं जो अन्य किसी ग्राम पंचायत के लिये बहुत मुश्किल हैं।

यू.एन. वूमेन कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही गतिविधियों में अन्य ग्राम पंचायतों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। महिलाओं में भी अब धीरे-धीरे अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का आभास होने लगा है जिससे यू.एन. वूमेन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो रहा है।

❑ सबीना निनामा

खेती में तकनीकी प्रयोग से हो रहा है लाभ

❑ अरुण राठौर

उज्जैन जिले में किसानों ने इतिहास और इबारत बदलने के लिये जो कदम उठाये हैं वे नई गाथा लिखते प्रतीत हो रहे हैं। किसानों के इन प्रयासों से मध्यप्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आने वाले समय में उज्जैन जिला ही नहीं वरन् उज्जैन संभाग की पहचान ही बदल जायेगी।

मालवा क्षेत्र गेहूं-चने की खेती के लिये पहचाना जाता था, बाद में सोयाबीन की उपज ने उसे नई पहचान दी और सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट भी उज्जैन में लगा, किन्तु विपरीत परिस्थितियों के कारण सफलता की कहानी गढ़ने में असफल रहा है। अब किसानों ने नई सोच अपनाकर फिर से कदम से कदम मिलाये हैं और उनके कदमों को गति देने का काम उद्यानिकी विभाग ने किया है। उद्यानिकी विभाग उज्जैन के प्रयासों से किसानों में नई आशाओं का संचार हुआ है।

वर्तमान में उद्यानिकी विभाग ने मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं से किसान भाईयों को अवगत कराया। पूरे देश के विशेष कृषि झोनों में दलों का भ्रमण आयोजित किया। पंजाब, हरियाणा, नासिक, नागपुर, महाराष्ट्र एवं अन्य उन्नत कृषि अपना रहे दूसरे प्रदेशों के किसानों से मिलवाया और नई तकनीकों से रूबरू कराया गया, जिसका परिणाम आज उज्जैन जिले के गांवों में परिदृश्य होने लगा है। उद्यानिकी विभागों के विशेष प्रयासों से किसान पारम्परिक कृषि के साथ नवीन तरीकों उन्नत तकनीकों से कृषि करने के लिये उत्प्रेरित हुए हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई, वर्मी खाद, पॉली हाउस, नेट हाउस, प्याज भण्डारण, कोल्ड हाउस जैसी तकनीकों को अपनाकर पारम्परिक खेती की तुलना में 10 गुना अधिक उत्पादन ले रहे हैं। साथ ही आर्गेनिक उपज से गुणवत्तापूर्ण फसल व दीर्घावधि तक चलने वाली फसलों का उत्पादन लिया जा रहा है। उज्जैन जिले में प्रदेश का सबसे बेहतर आंवला व अमरूद का उत्पादन होने लगा है। आंवले का उत्पादन तो हजारों क्विंटलों में होने लगा है। वहीं फूलों की खेती, सन्तरा उत्पादन, औषधि खेती, संकर कार्बनिक फसल के उत्पादन में भी विशिष्ट पहचान बनाई है।

उज्जैन जिले के घट्टिया विकासखण्ड के ग्राम रातड़िया निवासी कृषक श्री अरविंद सिंह पिता रामसिंह कन्नौजिया ने वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनान्तर्गत आंवला फलोद्यान रकबा 2.0 हैक्टेयर में रोपण किया, जो आज भरपूर आंवला उत्पादन दे रहा है। वे बताते हैं कि मेरी जमीन पहाड़ी हल्की तथा पथरीली थी जिस पर कोई फसल नहीं लगती थी तथा सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता भी कम थी अर्थात मंगरे की जमीन थी। उद्यानिकी प्रशिक्षण के दौरान पता चला कि आंवला फलोद्यान हेतु हल्की जमीन एवं कम सिंचाई पर भी आंवला रोपण किया जा सकता है। काम कठिन था पर मैंने ठान लिया था। सिंचाई जल की पूर्ति टेंकर से भी पूरी न होने पर 70 प्रतिशत अनुदान पर टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) सिस्टम लगाया गया। आंवला के अच्छी किस्म के पौधे उद्यानिकी विभाग से निःशुल्क मिले और कुछ पौधे बाहर से खरीद कर भी लगाये। अधिकारियों के सतत् सहयोग, सम्पर्क और मार्गदर्शन से हमारी मेहनत रंग लाई और आज खेत में बनारसी, चकैया, नरेन्द्र-7 एवं फ्रांसेस किस्म के पौधे भरपूर आवक दे रहे हैं। पहले पारम्परिक खेती से 40 हजार रुपये ही कमा पाते थे किन्तु अब आंवले की उपज ही पाँच लाख से अधिक की हो रही है। श्री अरविंद सिंह ने बताया कि हम अपने खेत पर लघु उद्योग लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आंवला एवं बेल फल का प्रसंस्करण करेंगे। उज्जैन जिले के तराना विकासखण्ड के ग्राम कपेली निवासी कृषक श्री कैलाश पाटीदार ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक विधि से प्याज भण्डार का निर्माण किया, जिस पर उन्हें 1.60 लाख रुपये के अनुदान सहित कुल 3.20 लाख रुपये लागत आई। श्री पाटीदार द्वारा उनके उत्पादित प्याज का भण्डारण कर 04 माह में ही 3.50 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस तरह प्याज भण्डार की पूरी लागत वसूल हो गई। इसी विकासखण्ड के माकड़ोन ग्राम के कृषक श्री मणिशंकर पाटीदार ने भी वैज्ञानिक विधि से प्याज भण्डार का निर्माण कर अपने अलावा अन्य कृषकों के प्याज का भण्डारण भी उसमें कर आय प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम भगवतपुर के कृषक श्री हाकमसिंह पाटीदार भी प्याज भण्डार का निर्माण कर हर्षित हैं और अगले साल दो और गोदाम बनाने की उनकी योजना है। ग्राम भगवतपुर के कृषक श्री हाकमसिंह पाटीदार, बड़नगर विकासखण्ड के ग्राम अमला के कृषक श्री भगवानसिंह भी अपने प्याज भण्डार का निर्माण कर अतिरिक्त लाभ अर्जित कर रहे हैं।

खेल मैदान बनने से खिले बच्चों के चेहरे

खेलों का महत्व अब दिनों दिन बढ़ रहा है। अब खिलाड़ी महानगरों या शहरों से ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकलकर अपनी प्रतिभा का लौहा मनवा रहे हैं। हमारे देश में खेल प्रतिभायें तो खूब हैं लेकिन उन प्रतिभाओं को संवारने के लिये संसाधन कम हैं और सबसे बड़ी कमी समुचित खेल मैदान न होने की है लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना से अब ग्रामीण खेल प्रतिभाओं और भावी खिलाड़ियों को खेलने के लिये व्यवस्थित खेल मैदान उपलब्ध हो रहे हैं। नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत कोदसा में भी बच्चों के लिये ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना के तहत स्कूल परिसर के पास खेल मैदान का समतलीकरण कराया गया है। गाँव में खेल के लिये उपयुक्त व समतल जगह न होने के कारण बच्चों को अक्सर ऊबड़-खाबड़ जगह पर खेलना पड़ता था जिससे कई बार बच्चे दुर्घटना का शिकार हो जाते थे।

ग्राम पंचायत कोदसा की सरपंच श्रीमती अंजना पटेल ने बताया कि ग्राम में खेल मैदान की मांग काफी समय से थी लेकिन खेल मैदान हेतु भूमि का चयन एवं समतलीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त राशि नहीं थी परन्तु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की क्रीडांगन उपयोजना से ग्राम कोदसा में खेल मैदान का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित किया गया था। ग्राम पंचायत सचिव अशोक पटेल ने बताया कि खेल मैदान का निर्माण करने में 2.82 लाख रुपये की लागत आयी। इसके अंतर्गत खेल मैदान को समतल करना, बैठने हेतु सीढ़ीनुमा रेंप का निर्माण कराया गया। इस कार्य में 380 मानव दिवसों का सृजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि खेल मैदान के बनने से युवाओं और बच्चों का उत्कर्ष चरम पर था। गाँव में कक्षा 9वीं के छात्र दिनेश ने कहा कि पहले खेल का मैदान नहीं था तो खेलने में दिक्कत होती थी। पथरीली जमीन पर गिरकर बच्चे घायल भी हो जाते थे लेकिन अब अच्छा खेल मैदान बन जाने से हम इस पर क्रिकेट, फुटबाल, खो-खो, बैडमिंटन, कबड्डी आदि खेलते हैं। मैदान पर चारों ओर घास उग जाने से दुर्घटना की संभावना काफी कम हो गई है।

❑ रचना बावरिया

सड़क बनने से गांव में आयी खुशहाली

देवास जिले की ग्राम पंचायत सेरगोना के गुर्जर मोहल्ले में सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण हो जाने से गांव के लोगों का आवागमन काफी आसान व सुविधाजनक हो गया है। अब यहाँ बारिश में कीचड़ नहीं होता है और न ही गंदगी। ग्राम पंचायत सेरगोना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी तथा विधायक निधि के सम्मिलित प्रयास से सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिये विधायक निधि से 2 लाख रुपये तथा रोजगार गारंटी योजना से 1.70 लाख रुपये की राशि यानी कुल 3.70 लाख रुपये की राशि से सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत सेरगोना के गुर्जर मोहल्ले में पहले सड़क न होने के कारण यहाँ के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करा पड़ता था। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के मौसम में तो कच्ची सड़क दलदली कीचड़ में बदल जाती थी जिससे यहाँ जब बच्चे स्कूल में पड़ने जाते तो उनके सारे कपड़े कीचड़ से खराब हो जाते थे, वे फिसलकर चोटिल हो जाते थे। महिलाओं और बुजुर्गों का आना जाना भी दूभर हो जाता था। गांव के निवासी बंशीलाल ने बताया कि इस सड़क से पहले गर्मियों में धूल व बारिश में कीचड़ से काफी परेशानी होती थी। कच्ची व गड्ढों से भरी इस सड़क पर रात में निकलना काफी परेशानी भरा होता था। बरसात में तो अक्सर हमें पूरा गांव का चक्कर लगाकर मुख्य सड़क तक जाना पड़ता था जिसमें काफी समय व मेहनत लगती थी लेकिन अब हमें नई पक्की सड़क बन जाने से काफी आसानी हुई है अब न तो धूल उड़ती है और न ही कीचड़ होता है। सड़क बन जाने से अब लोगों की जिंदगी काफी खुशहाल हो गई है।

❑ प्रीति मुजुमदार

सिंचाई से हुई सब्जी उत्पादन में वृद्धि

शहडोल जिले के विकासखण्ड ब्यौहारी की ग्राम पंचायत कल्हारी में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनमें से अधिकतर किसान कृषि के लिये वर्षा जल पर निर्भर रहते थे। बारिश पर निर्भरता से कई बार फसल अपेक्षानुसार नहीं हो पाती थी लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाने से ग्रामीणजन अब केवल फसल ही नहीं बल्कि सब्जी का उत्पादन भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कल्हारी में सिंचाई के लिये कपिलधारा कूप पंचायत द्वारा हितग्राही के सहयोग से बनाने से एवं स्वर्ण जयंती योजनान्तर्गत पम्प मिल जाने से हितग्राहियों का मनोबल बढ़ गया एवं सब्जी उत्पादन की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी कि सभी वर्ग के ज्यादातर लोगों ने इसे अपनी आजीविका का साधन बना लिया। प्रत्येक परिवार 300 से 400 रुपये की औसत सब्जी उत्पादित करते हुए प्रतिदिन गर्मी के मौसम में भी नियमित आय अर्जित करते हुए 9 से 12 हजार रु. प्रतिमाह का आर्थिक लाभ ले रहे हैं।

हितग्राही महेश अपनी मेहनत से कपिलधारा कूप से लाभ प्राप्त कर बेहतर जीवनयापन कर रहा है एवं कपिलधारा की कीमत के बराबर एक वर्ष के भीतर ही इसने उत्पादन कर लिया है। ग्राम पंचायत में इस महत्वाकांक्षी उप योजना का लाभ लेकर कुछ परिवारों का सब्जी उत्पादन व्यवसाय से आत्मिक लगाव हो गया है।

कूप निर्माण के समय स्रोत से पम्प के सहारे पानी निकालकर एक गड्ढे में जमा किया गया तथा उस गड्ढे के पानी का उपयोग सब्जी उत्पादन में करते हुए पानी का सदुपयोग कर कूप की बंधाई के पूर्व से ही कपिलधारा कूप से निकले पानी को बेहतर आजीविका का सहारा बनाते हुए सब्जी उत्पादन के रूप में हितग्राही की पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने सब्जी के खेत में नौतपा की धूप में भी आसानी से सब्जी उगा रही है जो किसी कठिन साधना से कम नहीं है।

❑ आकांक्षा सिंह

व्यवस्थित मेढ़ बंधान से हुआ भूमि सुधार

सीधी जिले में खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये सरकार द्वारा कई अभिनव कार्य किये जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास मेढ़ बंधान का कार्य जो अब पूरे सीधी जिले में वृहद स्तर पर किया जा रहा है। पुरानी व पारम्परिक पद्धति से की जा रही खेती से उत्पादन तथा पैदावार दोनों प्रभावित हो रहे हैं एवं उससे हो रहे मृदा क्षरण रोकने व पैदावार बढ़ाने के लिये मेढ़ बंधान का कार्य किया जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति व जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने में मेढ़ बंधान काफी कारगर उपाय है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मध्यप्रदेश में किये जा रहे मेढ़ बंधान कार्य से खेतों में सुधार हो रहा है। सीधी जिले में स्वीकृत सात हजार आठ सौ 91 मेढ़ बंधान कार्यों में से अब तक जिले में 4 हजार 2 सौ से अधिक कार्य पूरे कर लिये गये हैं। खेतों में मेढ़ बंधान का कार्य हो जाने से व्यवस्थित खेती को बल मिला है। मेढ़ बंधान का कार्य पूरी तरह श्रममूलक कार्य है इसमें किसी प्रकार की सामग्री पर व्यय नहीं होता है। सीधी जिले में भूमि शिल्प योजना के तहत हो रहे मेढ़ बंधान कार्यों में अब तक 73 करोड़ 15 लाख 28 हजार रुपये श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दिये गये हैं। जिसमें लगभग 13 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

सीधी जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा जनपदवार पूर्ण कराये जा रहे मेढ़ बंधान के कार्यों में जनपद पंचायत सीधी में 749, जनपद पंचायत मझौली में 156, जनपद पंचायत सिंहावल में 1641, जनपद पंचायत कुसमी में 438 तथा जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में 1288 मेढ़ बंधान के कार्य कराये गये हैं। सीधी जिले के कलेक्टर डॉ. मसूद अख्तर ने बताया कि जिले में मेढ़ बंधान के कार्यों से सतत रोजगार की उपलब्धता व खेती किसानी को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के प्रयास जारी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना भूमि शिल्प के तहत कराये गये मेढ़ बंधान कार्य से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ी है वहीं जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि से खेती को लाभ भी मिल रहा है। किसान अब अपने उन्हीं खेतों से अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। मेढ़ बंधान कार्य के जरिये हितग्राही को तो लाभ मिलता ही है साथ ही पूर्णतः रोजगारमूलक कार्य होने से अधिक से अधिक श्रमिकों को गांव में ही रोजगार के सहज अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

❑ शिव प्रसाद सोनी

पेयजल के साथ रोजगार का संकट भी हुआ दूर

जबलपुर जिले की मझौली जनपद पंचायत के ग्राम मड़ई में अब पानी की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ फसलें सालभर हरी-भरी रहती हैं, यहाँ न तो पेयजल की कमी है और न ही सिंचाई की समस्या। यह सब संभव हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वरदान बनकर आयी है। ग्राम पंचायत मड़ई में पेयजल समस्या शुरू से ही थी और गर्मियों में तो यह समस्या काफी विकराल हो जाती थी। ग्रामीणों को पानी के लिये दूर-दूर जाना पड़ता था और गांव के एकमात्र हैण्डपंप पर पानी के लिये रोज-रोज होने वाले झगड़े तो आम बात थी। लेकिन जबसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना निर्मलनीर के तहत मड़ई में सामुदायिक कूप का निर्माण कराया गया है तबसे गांव में पेयजल समस्या खत्म हो गई है।

ग्राम पंचायत सचिव श्री उजियार सिंह ने कहा कि गांव में पेयजल संकट को देखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सामुदायिक कूप बनाने का ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। और 2.16 लाख रुपये की लागत से लगभग 50 फीट गहरा कूप बनाया गया जो अब वर्षभर पानी से भरा रहता है। ग्राम पंचायत मड़ई के सरपंच श्री इंद्रकुमार पटेल ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गांव के लोगों को गांव में ही न सिर्फ रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के बैंक में खाते खुलवाये गये हैं। अब गांव के मजदूरों को गांव में ही काम मिल रहा है और उन्हें उनके काम का पैसा बैंक में खोले गये खाते में जमा हो जाता है जिसे वे जब चाहे तब अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं।

गांव के युवक मुकेश सिंह ने बताया कि पहले हमारे गांव में पेयजल के साथ-साथ रोजगार की भी समस्या थी। परिवार की थोड़ी सी जमीन पर जो खेती होती उसी से घर का गुजारा होता था और अधिक समय बिना काम के ही खाली रहना पड़ता था या फिर मजदूरी करने के लिये घर से दूर शहर जाना पड़ता था लेकिन मनरेगा योजना से अब हमें हमारे ही गांव में काफी काम मिलने लगा है और मजदूरी भी अच्छी मिलती है। अब हमने काम के लिये शहर जाना बन्द कर दिया है। अब हम खेती के अलावा गांव में ही मजदूरी करके अपना गुजारा अच्छे से कर रहे हैं।

मुकेश की तरह ग्राम मड़ई के अन्य लोगों ने भी अब मजदूरी के लिये शहरों की ओर पलायन करना बन्द कर दिया है। अब मड़ई में न तो पेयजल की समस्या है और न ही रोजगार की। मनरेगा से हुआ विकास अब ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार कर रहा है।

❑ ऋषिराज चढार

तालाब बनने से मिली पानी की सुविधा

कटनी जिले के विकासखण्ड रीठी की ग्राम पंचायत धनियां के ग्राम झरीखेड़ा नये तालाब के निर्माण हो जाने से ग्रामीण काफी खुश हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए तालाब के निर्माण से ग्रामवासियों को अब सालभर पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्रामवासी इस तालाब का उपयोग निस्तार कार्यों के लिये, मवेशियों को पानी पिलाने एवं सिंचाई कार्यों में कर रहे हैं। तालाब बन जाने से जहां ग्रामीणों को भरपूर पानी मिल रहा है वहीं मिट्टी का कटाव भी रोका जा सका है।

मनरेगा में कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती वर्षा ने बताया कि तालाब निर्माण का यह कार्य जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत धनियां में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत 5 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से कराया गया है। जिसमें 180 सृजित परिवारों को रोजगार दिया गया तथा 3850 मानव दिवस सृजित हुये हैं।

❑ संदीप श्रीवास्तव

जनपद पंचायत के आय-व्यय का लेखा

पंचायतीराज व्यवस्था के लागू होने के बाद अब हर जनपद पंचायत को आय के रूप में धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने के अधिकार मिले हैं। प्राप्त धन के व्यय में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सरकार ने आय व्यय का लेखा रखने व उसके ऑडिट का नियम बनाया है जिससे आय और व्यय का सही हिसाब रखा जा सके।

अगर हम ठीक से ध्यान दें तो अपनी जनपद पंचायत का हिसाब-किताब भी आसानी से चलाया जा सकता है। पंचायत का हिसाब-किताब रखना अपने घर के हिसाब-किताब रखने जैसा ही है। घर चलाने के लिये हम बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं जैसे कि घर खर्च के लिये पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को कैसे खर्च करें कि जितनी आमदनी है उतने ही पैसों में घर का खर्च कैसे चलाया जाए और घर की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। जब हम घर की जरूरतों और खर्च के बारे में सोचने लगते हैं तो कई बातों पर विचार करते हैं और घर के सदस्य से बातचीत करके ही यह तय करते हैं कि आने वाले महीने या साल में घर के लिये सबसे जरूरी क्या है? घर के लिये होने वाले बड़े खर्च को हम बिना सलाह मशविरा के तय नहीं करते हैं जैसे कि घर बनाना, बच्चों की शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई आदि। घर में होने वाले ऐसे खर्चों का हिसाब-किताब भी रखा जाता है।

पंचायत राज व्यवस्था के लागू होने के बाद अब हर जनपद पंचायत को आय के रूप में धन प्राप्त करने के और उसे खर्च करने के अधिकार मिले हैं। हम यह पहले ही समझ चुके हैं कि जनपद पंचायत को यह आय अलग-अलग स्रोतों से मिला करेगी। जनपद पंचायत की गतिविधियों में गाँव के हर नागरिक की रुचि बनाये रखने के लिये आय और व्यय मतलब आमदनी और खर्च के लेखा को खुली किताब की तरह रखना जरूरी है। इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिये सरकार ने आय-व्यय का लेखा और उसके ऑडिट का नियम बनाया है। इन नियमों को समझना जरूरी है क्योंकि ये जनपद पंचायत को काफी अधिकार देते हैं और अगर इनके नियमपूर्वक पालन को सुनिश्चित किया जाये तो चुने हुए प्रतिनिधियों का काम सहज एवं पारदर्शी होगा और आम जनता का पंचायत पर विश्वास बढ़ेगा।

जनपद पंचायत का लेखा - हर जनपद पंचायत, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानून के अनुसार अपने आय तथा व्यय का बजट अनुमान तैयार करेगी।

- ❑ हर जनपद पंचायत के लिये यह जरूरी होगा कि वह लेखा पुस्तकें तथा खर्च का वार्षिक विवरण विस्तृत रूप से तैयार करे।
- ❑ लेखा रजिस्टर की जिल्द बंधी होगी।
- ❑ जनपद पंचायत का लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अध्यक्ष की होगी।
- ❑ लेखा के दस्तावेजों में सुधार एवं परिवर्तन सफाईपूर्वक लाल स्याही से किया जाएगा। सुधार वहीं आदमी करेगा जो लेखा का प्रभारी है अत; व्यक्ति सुधार करके सुधार वाली जगह पर अपने प्रारंभिक हस्ताक्षर भी करेगा।
- ❑ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कुल व्यय मंजूर की गई बजट सीमाओं के भीतर किया गया है और उपगत व्यय जनपद पंचायत के सर्वोत्तम हित में तथा प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उचित नियंत्रण बनाये रखने की दृष्टि से उसे व्यय की प्रगति की गई प्रतिबद्धताओं तथा अपने ऊपर

लिये गये किन्तु चुकता न किये गये दायित्वों के संबंध में पूरी पूरी जानकारी रखना चाहिए।

- ❑ जनपद पंचायत को देय कोई भी रकम बिना पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ी जाएगी। जहाँ पर पंचायत को ऐसा लगे कि कोई रकम वसूलना अत्यन्त कठिन लग रहा है तो ऐसे उदाहरणों में पंचायत नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से निम्न के लिये पूर्व अनुमति लेगी -
  - ☞ छूट
  - ☞ मांग में कमी या
  - ☞ बट्टे खाते में डालने के लिये

लेखा प्रक्रिया

पंचायत को होने वाली प्राप्तियों के लेखे - हर जनपद पंचायत के पास एक रोकड़ बही रजिस्टर होगा। रोकड़ बही का प्रारूप जनपद पंचायत लेखा- 3 में दिया गया है। अतः जनपद पंचायत को इसी प्रारूप पर रोकड़ बही बनाना होगा। रोकड़ बही के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और उसमें अन्तर्विष्ट पृष्ठों की संख्या संबंधी प्रमाण पत्र रोकड़ बही के प्रथम पृष्ठ पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अभिलिखित तथा हस्ताक्षरित होगा।

जनपद पंचायत की रोकड़ बही में

- ☞ एक प्राप्ति पक्ष और एक संदाय पक्ष होगा।
- ☞ सभी प्राप्तियों के लिये लेखा शीर्ष होगा।
- ☞ सभी संदायों के लिये भी एक लेखा शीर्ष होगा।
- ☞ रोकड़ बही के प्राप्ति और संदाय पक्ष में ये लेखा शीर्ष लिखे जाएंगे और उनके नीचे ही सभी प्राप्तियां और भुगतान लिखे जाएंगे।

रोकड़ बही

प्राप्ति पक्ष	संदाय पक्ष
सभी प्राप्तियां चाहे वे ☞ नगद ☞ चेक ☞ मांग ड्राफ्ट के रूप में हों रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में ही दर्ज होंगी।	पंचायत से किए गए ☞ नगद भुगतान ☞ चेक से भुगतान या ☞ मांग ड्राफ्ट से किया गया भुगतान रोकड़ बही के संदाय पक्ष में लिखा जाएगा।

- ☞ रोकड़ बही प्रतिदिन के आधार पर लिखी जाएगी और प्रतिदिन बंद होगी।

1. रोकड़िया और उसके उत्तरदायित्व - प्रत्येक जनपद पंचायत में सभी प्राप्तियों संदायों तथा नगदी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये एक रोकड़िया होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोकड़िया की जिम्मेदारी किसी अधिकारी को समनुदेशित कर सकेगी। तथापि किसी भी परिस्थिति में रोकड़िया की रोकड़ बही लिखने हेतु पहुंच होगी या अन्यथा जिम्मेदारी होगी।

2. जनपद पंचायत में नगदी रखने की सीमा - जनपद पंचायत में किसी भी समय नगदी 10,000 रुपये तक होनी चाहिए। 10,000 रुपये से ज्यादा की नगदी उसी दिन या अगले दिन बैंक या डाक घर के खाते में जमा कर दी जानी चाहिए।

3. रोकड़ बही का सत्यापन - महीने में कम से कम एक बार सामान्य प्रशासन समिति का ऐसा सदस्य जो अध्यक्ष न हो नकदी व रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टि को जायेगा और नगदी के इस भौतिक सत्यापन को रोकड़ बही में लिखे।

4. रोकड़ पर दोहरा नियंत्रण - जनपद पंचायत की रोकड़ सुरक्षित अभिरक्षा में दोहरे तालों की पद्धति में रखी जाएगी एक ताले की चाबी रोकड़िये के पास होगी तथा दूसरे ताले की चाबी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास रखी जाएगी। दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में ही रोकड़ पेटी खोली जाएगी। चाबियों का दूसरा सेट खजाने में जमा किया जाएगा।

5. जनपद पंचायत का खाता (अधिशेष निधियों का निक्षेप) - जनपद पंचायत अपने धन पर निधियों को सरकारी खजाने, बैंक या डाकघर में रखेगी। जनपद पंचायत यह तय करेगी कि पंचायत किस खजाने, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या स्थानीय डाकघर में जनपद पंचायत का खाता खोला जाना है।

6. पंचायत के खाते से पैसे निकालना - जनपद पंचायत के खाते से पैसा निकालने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकृत है। पैसा निकालने के चेक उनके हस्ताक्षर से जारी होंगे।

7. चेक पुस्तकों की अभिरक्षा - चेक बुकें और पास बुकें मुख्य कार्यपालन अधिकारी की या ऐसे अन्य अधिकारी की जो उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए निजी अभिरक्षा में रखी जाएगी। चेक बुक के गुम हो जाने की स्थिति में तुरन्त संबंधित बैंक/डाकघर को सूचित किया जाएगा।

8. चेक या ड्राफ्ट को जमा करना - जनपद पंचायत के नाम से प्राप्त चेक या ड्राफ्ट को उसी दिन या अगले दिन जनपद पंचायत के बैंक खाते या डाकघर के खाते में जमा किया जाएगा एवं जमा पर्ची को सुरक्षित रखा जाएगा।

9. बैंक में जमा - चेक/मां. ड्रा/अन्य लिखतमों की प्राप्ति पर उन्हें तुरन्त उसी दिन या आगामी बैंककारी दिन को बैंक/डाकघर खाते में जमा किया जाएगा निक्षेपों की अभिस्वीकृति करने वाली सभी जमा पर्चियों को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा।

(शेष आगामी अंकों में)

गांधी जयंती पर मद्य-निषेध सप्ताह का आयोजन

समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराने के लिये तथा युवाओं को इनसे सचेत करने के लिये गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2012 तक मद्यनिषेध सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता व नशामुक्ति अभियान चलाया जायेगा।

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल 462003
दूरभाष नं.-0755-2556916, फैक्स नं. 0755-2552665
Email-dpswbpl@mp.nic.in

क्रं./एफ-1-31/नशाबंदी/2012/362 **भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012**

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।

विषय - गांधी जयंती पर 'मद्य निषेध सप्ताह' का आयोजन (2 से 8 अक्टूबर 2012) बाबत्।

गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2012 तक 'मद्य निषेध सप्ताह' का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं नशीले मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना है, ताकि मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु वातावरण एवं चेतना निर्माण हो सके। इस आयोजन के लिये वृहद जनजागृति कार्यक्रमों का निर्धारण किया जावे। जिला से ग्राम पंचायत स्तर तक दिवस आयोजन कर शहरी/ग्रामीण जनता को मद्यपान की लत एवं मादक पदार्थों के सेवन की बुराईयों से अवगत कराया जावे, ताकि वे नशा सेवन करना छोड़ सकें तथा अपने क्षेत्रों में नशाबंदी के पक्ष में वातावरण निर्मित कर सकें।

2. माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश का 'प्रदेश बनाओ कार्यक्रम' में 'नशामुक्ति अभियान' को भी प्राथमिकता क्रम में रखा गया है। इसी श्रृंखला में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो सकें। इस अवसर पर सेमीनार वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएँ आयोजित कर जन-जन को नशामुक्ति हेतु प्रेरित किया जावे।

3. प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन गृह विभाग के पत्र क्र./डी4218/आर-4351/2011/दो/सी-1 दिनांक 20 सितम्बर 2011 से किया गया है। इस समिति की बैठक आयोजित कर, कार्यक्रमों का निर्धारण कर आयोजित कराया जावे।

4. मद्यनिषेध सप्ताह के आयोजन में जन अभियान परिषद् का सहयोग लिया जावे। इस अवसर पर निम्न कार्यक्रमों को किया जा सकता है -

1. मद्य निषेध की प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना।
2. मद्य निषेध/नशाबंदी से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित करना।

3. मद्यनिषेध सप्ताह के दौरान समस्त उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के सहयोग से कार्यक्रम जैसे - प्रभात फेरी, शराब से होने वाली हानियों पर वाद विवाद, भाषण, चित्रकला, नारे एवं निबंध प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ तथा सेमीनार का आयोजन करना।

4. जिले में शासकीय कलापथक दल एवं अशासकीय कलामंडलियों के माध्यम से मद्यनिषेध/नशाबंदी से संबंधित नाटकों का प्रदर्शन करना।

5. मान्यता प्राप्त/अनुदान प्राप्त संस्थाएं नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको भी भागीदारी करने हेतु उन्हें लिखें। जो संस्थाएं भागीदारी करें उनकी जानकारी प्रपत्र में दी जावे।

अत; आपके जिले में उक्त अनुसार मद्यनिषेध सप्ताह का आयोजन कर, शराब एवं मादक द्रव्य/मादक पदार्थों से होने वाली हानियों से जन सामान्य को अवगत कराकर नशाबंदी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। मद्यनिषेध सप्ताह आयोजन उपरांत प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 15.10.2012 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न प्रपत्र -

(व्ही.के. बाथम)
आयुक्त
सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश

मद्यनिषेध सप्ताह दिनांक 2 से 8 अक्टूबर 2012 का आयोजन की जानकारी

प्रपत्र

जिले का नाम .....

क्रमांक	आयोजित कार्यक्रम	कार्यक्रम संख्या	भागीदार व्यक्तियों की संख्या	किन संस्थाओं ने भाग लिया नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	मद्यनिषेध प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना				
2.	नशामुक्ति सेमीनार				
3.	रैली				
4.	नशाबंदी प्रदर्शनी				
5.	विभिन्न प्रतियोगिताएं				
6.	कलापथक दलों के कार्यक्रम				
7.	नशामुक्ति केम्प				
8.	पम्पलेट/साहित्य वितरण				
9.	अन्य				

संक्षिप्त टीप -

(अधिकारी का नाम)
संयुक्त/उप संचालक
सामाजिक न्याय .....

राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिये ग्राम सभा का चयन

भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किया जाता है। राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक राज्य की उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन 'राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार' के लिये किया जाएगा।

पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल

क्रमांक/पंचा/242II/2012/8606 **भोपाल, दिनांक 13.08.2012**

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त, मध्यप्रदेश

विषय - 'राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा' पुरस्कार 2011 के लिये उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली ने अ.शा. पत्र क्र. जे 11011/60/2012-मेडिया दिनांक 24 जुलाई 2012 'उत्कृष्ट कार्य' करने वाली ग्राम सभाओं को पुरस्कृत करने के लिये विषयांकित नामांकन चाहे हैं।

2. राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा प्रत्येक राज्य की उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन किया जाएगा। उत्कृष्ट ग्राम सभा के चयन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड/बिन्दु नियत किए गए हैं -

- त्रैमासिक ग्राम सभा का आयोजन
- कार्ययोजना एवं उसका क्रियान्वयन
- ग्राम सभा में निम्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं कार्यवाही

पेयजल, स्वच्छता, सोशल सेक्युरिटी, जेण्डर जस्टिस, प्राथमिक शिक्षा, मनरेगा, पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, कृषि, सड़क-स्ट्रीट लाईट और भूमि, जल, जंगल

- काम-काज निष्पादन में पारदर्शिता एवं सामाजिक संपरीक्षा
- ग्राम सभा में गांववासियों की उपस्थिति
- नियमानुसार ग्राम सभा का आयोजन, शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्यवाही विवरण को लिपिबद्ध करना
- भ्रूण परीक्षण, महिला अनैतिक आचरण रोकथाम, साक्षरता, साहूकारी प्रथा आदि पर उपलब्धियां
- ग्राम सभा की विशिष्टयों पर नोट तैयार करना
- महिला ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन

3. भारत सरकार से प्राप्त निर्देश, गाईड लाईन्स/चयन के मापदण्ड तथा प्रत्येक मापदण्ड के लिये निर्धारित अंक तालिका संलग्न है।

4. जिले की उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन करने के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति भारत सरकार ने गठित की है-

- कलेक्टर — अध्यक्ष
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत — सदस्य सहसंयोजक
- मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी — सदस्य

- जिला शिक्षाधिकारी — सदस्य
- जिला कार्यक्रम अधिकारी/
  जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
- उप संचालक कृषि
- कलेक्टर द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ

इस समिति द्वारा जिले की ग्राम सभाओं के 'राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा' के पुरस्कार हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से जिले की एक उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन कर राज्य स्तरीय चयन समिति को अग्रेषित किया जाएगा।

5. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित होगी। इसमें अन्य सदस्य -

- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- सचिव, शालेय शिक्षा
- सचिव, महिला एवं बाल विकास
- सचिव, कृषि
- दो विषय विशेषज्ञ - अध्यक्ष द्वारा नामांकित

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा जिले में प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारित मानदण्ड/बिन्दुओं के आधार पर उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन कर राष्ट्रीय चयन समिति को अग्रेषित किया जाएगा।

6- (1) ग्राम सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में अर्जित उपलब्धियां चयन के लिये अवधि होगी।

(2) पुरस्कार राशि रुपये 10 लाख है।

(3) जिले के उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाकर राज्य स्तरीय चयन समिति को आयुक्त, पंचायत राज म.प्र. के माध्यम से 15 सितम्बर 2012 तक प्रेषित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यों की उत्कृष्ट ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

(5) राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार किसी स्वतंत्र एजेंसी से फील्ड वेरीफिकेशन कराया जाएगा। फील्ड वेरीफिकेशन की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्कृष्ट ग्राम सभा का चयन पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 में अर्जित उपलब्धियों की वास्तविक जानकारी छायाचित्र तथा बैठकों के कार्यविवरण आदि व्यवस्थित कर प्रस्तावों के साथ संलग्न किए जाएं।

(विश्वमोहन उपाध्याय)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठां क्रमांक/पंचा/...../2012/8607 — **भोपाल, दिनांक 13.08.2012**

प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

न्यायालयों के निर्णय-आदेश का समयावधि में पालन होना जरूरी

माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय से किसी प्रकरण में जिसमें मध्यप्रदेश शासन पक्षकार है, कोई आदेश/निर्णय पारित होता है तो उस आदेश/निर्णय का पालन समयावधि में होना चाहिये। शासकीय अधिवक्ता का यह दायित्व है कि वह उस आदेश/निर्णय की सूचना प्रभारी अधिकारी या प्रशासकीय विभाग प्रमुख को उसी दिन या आगामी कार्यदिवस में अवश्य दें। इसी प्रकार सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी अधिकारी तीन दिन के भीतर शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करें।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-5-2/2012/1/8 **भोपाल, दिनांक 22.08.2012**

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय - न्यायालय के निर्णय/आदेश का समयावधि में पालन एवं न्यायालय अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण बाबत।

विषयान्तर्गत पूर्व में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -

1. जब भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से किसी प्रकरण में जिसमें मध्यप्रदेश शासन पक्षकार है, कोई आदेश/निर्णय पारित होता है और आदेश/निर्णय का पालन शासन को समयावधि में करना है तो संबंधित शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय/स्थायी अधिवक्ता का यह दायित्व होगा कि वह आदेश/निर्णय की सूचना उसी दिन अथवा आगामी कार्यदिवस तक अवश्यमेव प्रकरण के प्रभारी अधिकारी एवं प्रशासकीय विभाग के प्रमुख को देगा। साथ ही अपना अभिमत भी देगा कि आदेश/निर्णय के विरुद्ध कोई विधिक उपचार प्राप्त किया जाना है या आदेश/निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाना है।

2. सूचना प्राप्त होते ही प्रकरण का प्रभारी अधिकारी तीन दिवस के भीतर शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय/स्थायी अधिवक्ता से संपर्क होगा।

3. संबंधित शासकीय अधिवक्ता/काउंसिल द्वारा आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आदेश/निर्णय घोषित होने के आगामी कार्यदिवस तक आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा और आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपने अभिमत सहित प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा तथा प्रभारी अधिकारी उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि शासकीय अधिवक्ता को अभिमत एवं अपनी टीप सहित विभाग प्रमुख तथा उस अधिकारी को उपलब्ध करायेगा जिसके स्तर पर न्यायालय के आदेश/निर्णय का पालन किया जाना है।

4. प्रशासकीय विभाग यदि आदेश/निर्णय के विरुद्ध विधिक उपचार प्राप्त करने का विनिश्चय करता है तो विभाग का यह दायित्व होगा कि इस हेतु वह अपना प्रस्ताव विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी ज्ञापन 2214/पी.एस./विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 7.7.2012 में विहित समयावधि में विधि विभाग को समस्त औपचारिकतायें पूरी करते हुए एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजेगा।

5. यदि आदेश/निर्णय में पालन हेतु समयावधि दी गई है और यह समयावधि विधि विभाग के उक्त ज्ञापन दिनांक 7.7.2012 से कम है तो प्रशासकीय विभाग को चाहिये कि वह इस संबंध में तत्काल इस तरह से प्रस्ताव प्रेषित करे कि विधिक उपचार हेतु प्रस्ताव निर्णय/आदेश में उल्लिखित समयावधि के पूर्व स्वीकृत होकर रिट अपील/एस.एल.पी./पुनर्विलोकन याचिकायें सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जायें और प्रश्नांकित निर्णय/आदेश के संबंध में स्थगन आदेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाए।

6. निर्णय/आदेश जिनका समयावधि में पालन किया जाना है उन पर यदि पर्याप्त वैधानिक कार्यवाही के पश्यात् भी उस समयावधि के पूर्व वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं होता है तो वरिष्ठ न्यायालय में प्रस्तुत रिट अपील/एस.एल.पी./पुनर्विलोकन आदि याचिकाओं के निराकरण में पारित होने वाले आदेश के शर्ताधीन, प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय/आदेश का पालन किया जाना चाहिये।

7. निर्णय/आदेश का पालन करने का दायित्व जिस अधिकारी का है, उसका दायित्व होगा कि यदि वरिष्ठ न्यायालय से निर्णय/आदेश के संबंध में स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होता है तो उक्त कण्डिका क्रमांक6 के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि पालन करने में कोई तकनीकी या अन्य कोई कठिनाई आ रही है तो इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी/विभाग प्रमुख को अवगत करायेगा तथा साथ ही शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता, कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय/स्थायी अधिवक्ता से संपर्क करेगा या प्रभारी अधिकारी को निर्देश देगा कि उक्तानुसार सम्पर्क कर संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर वस्तु-स्थिति से अवगत कराते हुए न्यायालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करे।

8. निर्णय/आदेश का पालन करने का दायित्व जिस अधिकारी का है उसका यह भी दायित्व होगा कि यदि समयसीमा में निर्णय/आदेश का पालन नहीं हो पाया है तो इस संबंध में प्रतिवेदन अपने विभागाध्यक्ष प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को दे और यह कारण भी दर्शित करेगा कि क्यों निर्णय/आदेश का पालन समयावधि में नहीं हो सका और निर्णय/आदेश का पालन कितनी अवधि में हो जाएगा और यदि निर्णय/आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है तो क्यों? आदेश के पालन हेतु क्या कार्यवाही आवश्यक है।

9. उक्त कण्डिका-8, में उल्लिखित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा न्यायालय अवमानना का प्रकरण उत्पन्न हो जाने पर प्रशासकीय विभाग के प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर यह विनिश्चित करे कि निर्णय/आदेश के अपालन की स्थिति क्यों निर्मित हुई और इसके लिये दायित्व भी निर्धारित करें कि किसके कारण ऐसा हुआ और इस संबंध में कार्यवाही हेतु अनुशंसा भी करेगा साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि शीघ्रातिशीघ्र निर्णय/आदेश का पालन कर लिया जाए।

10. जहां प्रशासकीय विभाग का प्रमुख ही निर्णय/आदेश का पालन करने के लिये उत्तरदायी है ऐसे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर यह विनिश्चित करेगा कि निर्णय/आदेश के अपालन की स्थिति क्यों निर्मित हुई और इसके लिये दायित्व भी निर्धारित करेगा कि किसके कारण ऐसा हुआ और इस संबंध में कार्यवाही हेतु अनुशंसा भी करेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि शीघ्रातिशीघ्र निर्णय/आदेश का पालन कर लिया जाए।

11. जहां निर्णय/आदेश का पालन न होने के कारण अवमानना का प्रकरण उत्पन्न हो जाता है तो प्रशासकीय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग सर्वप्रथम तो उक्त कण्डिका क्रमांक7 के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा यह भी विनिश्चित करेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के बचाव का प्रतिरक्षण किया जाना उपयुक्त है या नहीं और यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के बचाव का प्रतिरक्षण किया जाना उपयुक्त पाया जाता है तो ऐसे प्रकरण विधि विभाग को अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु भेजे जायेंगे तथा इन प्रकरणों में फीस का भुगतान विधि विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र दिनांक 13.4.2009 के अधीन किया जाएगा।

12. जिन प्रकरणों में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का बचाव प्रतिरक्षण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को अपना प्रतिरक्षण स्वयं के व्यय पर करना होगा।

13. न्यायालय अवमानना प्रकरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को यदि दोषी ठहराया जाकर दण्डित किया जाता है और यदि यह पाया जाता है कि एकमात्र उसके कारण ही निर्णय का पालन समय पर नहीं हो सका बल्कि अन्य कारण भी विद्यमान थे। तो ऐसे आदेश के विरुद्ध विधिक उपचार प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का प्रशासकीय विभाग द्वारा सहयोग किया जायेगा।

(आर. परशुराम)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

ग्राम पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना राशि का आवंटन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को उनके मूलभूत विकास कार्यों हेतु पंच-परमेश्वर योजना के तहत उनकी जनसंख्या के हिसाब से राशि का आवंटन एकीकृत बजट योजना के तहत किया जाता है। इस संबंध में जारी परिपत्र को यथावत प्रस्तुत किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 1.9.2012

क्रमांक एफ-2-10/2012/22/पं-1, राज्य शासन द्वारा एकीकृत बजट योजना अन्तर्गत पंच परमेश्वर नाम से पंचायतों के लिये वर्ष 2011-2012 से प्रारंभ की गई कार्ययोजना को वर्ष2012-2013 में निरन्तर रखने की अनुमति दी जाती है। योजना के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक पं.रा./वित्त-यो/2011/119/9900 दिनांक 11.11.2011 एवं परिपत्र क्रमांक क्रमांक पं.रा./वित्त.यो/20.11/119, दिनांक 28.12.2011 में निहित प्रावधान एवं दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जो ग्राम पंचायतें अच्छा कार्य करेगी उन्हें अतिरिक्त राशि दी जावेगी। पंचायतों के अच्छे कार्यों का आकलन/मूल्यांकन जिला स्तर पर पृथक से गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एन. लालवानी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक एफ-2-10/2012/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 1.9.2012**

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त पंचायत राज, संचालनालय, भोपाल।
2. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायत सचिवों के स्थानांतरण अवधि में वृद्धि

राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 31 मार्च 2012 को पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति घोषित की गई थी। पंचायत सचिवों के स्थानांतरण 15 जून से 15 जुलाई तक करने के निर्देश दिये गये थे इस अवधि में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने 22 सितम्बर से 29 सितम्बर 2012 तक की अवधि में स्थानांतरण करने की अनुमति प्रदान की है। आदेश की प्रति यहाँ प्रकाशित की जा रही है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र.एफ-1-6/2011/22/पं-1, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मार्च 2012 द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के स्थानांतरण नीति की कंडिका '1' में 'जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या का अधिकतम दस प्रतिशत स्थानांतरण प्रतिवर्ष 15 जून से 15 जुलाई तक किये जा सकेंगे' के निर्देश दिये गये थे। अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत सचिवों के दिनांक 22 सितम्बर 2012 से 29 सितम्बर 2012 तक की अवधि में स्थानांतरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। स्थानांतरण नीति की अन्य कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एम.एम. लालवानी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. एफ-1-6/2011/22/पं-1,

प्रतिलिपि -

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव मा. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

---

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी मध्यप्रदेश भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. निदेशक, (पंचायिका) मध्यप्रदेश माध्यम अरेरा हिल्स भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ।

---

1. समस्त अध्यक्ष जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। 2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

हस्ता/-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

उद्यानिकी विकास में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम उद्यानिकी विकास में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना की जानकारी दे रहे हैं।

उद्देश्यः-

1. कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उद्यानिकी के विकास हेतु कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना।
2. विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों को उद्यानिकी क्रियाएँ समय-सीमा में सम्पन्न करने हेतु महँगे कृषि यंत्र उनकी पहुँच के भीतर लाना।
3. कम समय व लागत से अधिक से अधिक क्षेत्र में उद्यानिकी क्रियाएँ सम्पन्न करना।
4. उद्यानिकी उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करना।
5. कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कुछ हद तक मजदूरों पर निर्भरता को कम करना।
6. समय की बचत तथा कृषक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्रः- इन्दौर एवं उज्जैन के आलू उत्पादक समूह।

योजना का प्रारंभः- इस योजना का प्रारंभ वर्ष2011-12 से किया जावेगा।

योजना का स्वरूपः- आलू की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्र जैसे- पोटेटो प्लान्टर तथा पोटेटो हार्वेस्टर कम ग्रेडर की इकाई लागत ज्यादा होने से कृषक इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषक समूह की 50 प्रतिशत अनुदान सहायता यंत्रों पर किया जाना प्रस्तावित है।

सम्पर्कः- जिले के सहायक संचालक उद्यान विभाग।

उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना

उद्देश्यः-

1. प्रदेश में उद्यानिकी उत्पादों के फसलोत्तर प्रबन्धन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना का विकास कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की शेल्फ लाइफ बढ़ाना।
2. कृषकों के उत्पादों का सही मूल्य कृषकों को उपलब्ध करवाना।
3. उद्यानिकी उत्पादों का प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देना।
4. उद्यानिकी के उत्पाद का सही मूल्य दिलवाकर उद्यानिकी फसलों की खेती को लाभ का धंधा बनाना।

कार्यक्षेत्रः- प्रदेश के समस्त जिलों में शीत श्रृंखला इकाईयों का निर्माण एवं संधारण मण्डी बोर्ड के माध्यम से किया जावेगा।

योजना का प्रारंभ :- यह योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से क्रियान्वित की जावेगी।

योजना का स्वरूपः-

1. प्रत्येक इकाई की क्षमता न्यूनतम 50 मैट्रिक टन होगी।
2. प्रत्येक इकाई में प्रीकूलिंग, कूलिंग, रायपनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग

एवं भण्डारण की व्यवस्था होगी।

3. इकाई का संचालन मण्डी बोर्ड द्वारा स्वयं अथवा निजी एजेन्सी के माध्यम से किया जावेगा।

अनुदान की पात्रताः- इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान राज्य योजना से एवं 25 प्रतिशत राशि मण्डी बोर्ड द्वारा वहन किया जावेगा।

सम्पर्कः- जिले के सहायक संचालक उद्यान विभाग।

निजी रोपणियों की स्थापना से उद्यमिता विकास योजना

योजनांतर्गत सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों जो रोपणी की स्थापना हेतु निर्धारित क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर तक की कृषि योग्य उपयुक्त भूमि उपयोग में लाने की क्षमता हो तथा उसके पास उस क्षेत्रफल की सिंचाई हेतु वर्ष भर पर्याप्त साधन, स्रोत उपलब्ध हों तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्ध हों, को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन एवं निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्थापना व्यय पर रुपये 5.00 लाख सीमा तक बैंक ऋण लेने पर सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 1.75 लाख जो भी कम हो तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद के हितग्राहियों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 2.50 लाख जो भी कम हो, का अनुदान देय है।

फल परिरक्षण प्रशिक्षणः- फल एवं सागभाजी परिरक्षण पदार्थ जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, चटनी, कचप, सॉस, शरबत आदि बनाने का प्रशिक्षण फल परिरक्षण केन्द्र इंदौर में महिलाओं को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा में भी विभागीय तौर पर प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रमः- कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत करवाया जावेगा।

2 दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण- रुपये 500/- प्रति कृषक

7 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण राज्य की सीमा में रुपये 1500 प्रति कृषक

7 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण राज्य से बाहर रुपये 2500 प्रति कृषक

मेला प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसारः- योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की तकनीकी की जानकारी कृषकों तक (रूट लेवल) पहुँचाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित कर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन वर्ष 2005-06 से देश में प्रारम्भ किया गया एवं अन्य राज्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के 39 जिले भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मण्डला, डिण्डौरी, बुरहानपुर, बड़वानी, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अलीराजपुर, सिंगरौली, अशोकनगर, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया शामिल हैं।

उद्देश्यः-

- मिशन अवधि में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दुगना करना।
- मिशन के अंतर्गत चयनित 39 जिलों में केला, आम, आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, सीताफल, बेर, केला, मसाला फसलें धनियां, लहसुन, मिर्च एवं पुष्प फसलों का विकास करना।
- उच्च प्रजाति के पौधों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बड़ी एवं छोटी मॉडल रोपणियों की स्थापना।
- गिरते भू-जल स्तर सुधार हेतु जल स्रोतों के विकास हेतु रुपये 15.00 लाख की सीमा तक तालाबों का निर्माण।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना।
- फसलोत्तर प्रबंधन प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, निर्यात की सुविधाओं के विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास करना।
- आधुनिक तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में उद्यानिकी से जुड़ी निम्न गतिविधियों का बढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाना प्रस्तावित है।
- उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से।
- पौध रोपण अधोसंरचना एवं विकास।
- फसलोत्तर प्रबंधन।
- प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन।
- मिशन प्रबंधन।

सम्पर्कः- जिले के सहायक संचालक उद्यान विभाग।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें - नवम्बर 11)

जिला एवं जनपद पंचायत की बैठक में प्रतिनिधि का नामांकन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में जिला पंचायत या जनपद पंचायतों में क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद को भी पदेन सदस्य बनाये जाने का प्रावधान है। इसके तहत विधानसभा या लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत या जिला पंचापत के अंतर्गत आता है वह उस जनपद या जिला पंचायत का सदस्य होंगे।

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद को भी पदेन सदस्य बनाये जाने का प्रावधान पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य (विधायक) जिसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है उस जनपद पंचायत का सदस्य होंगे एवं उस जनपद पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य भी होंगे।

जिला पंचायत की प्रत्येक समिति, दो से अनाधिक ऐसे विधानसभा सदस्यों को जो उस जिला पंचायत के सदस्य हैं इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहयोजित करेगी कि विधानसभा का कोई भी सदस्य दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होंगे।

संसद का प्रत्येक ऐसा सदस्य (सांसद) जिसका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में है वह उस जिला पंचायत के सदस्य होंगे जिसमें उसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत में अपनी पसन्द की किन्हीं भी दो समितियों का पदेन सदस्य भी होंगे। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक संसद सदस्य, जो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य हैं या उसकी स्थायी समिति के पदेन सदस्य हैं, यदि वे अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो सम्मिलन में उपस्थित होने के लिये अपने ऐसे प्रतिनिधि को नाम-निर्देशित कर सकेंगे जिसके पास निम्न अर्हताएं हैं-

प्रतिनिधि की अर्हताएं - कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में नाम-निर्देशित किए जाने के लिये तब तक अयोग्य नहीं होगा जब तक तक कि वह -

(क) उस पंचायत का मतदाता न हो।

(ख) पंचायत का पदधारी होने के लिये निरर्हित न हो।

(ग) पंचायत के विचाराधीन किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित न रखता हो।

(घ) पंचायत की ओर से या पंचायत के द्वारा किसी संविदा या नियोजन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित न रखता हो।

(ङ) पंचायत शोध्यों के बकाया न हों।

(च) नैतिक अक्षमता में अन्तर्वलित (lovolving Moral Turpitude) किसी अपराध के लिये सिद्धदोष न ठहराया गया हो।

(छ) उसके निजी निवास में फ्लश शौचालय न हो।

(ज) उसने पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अधिक्रमण किया हो।

(झ) उसके विरुद्ध न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय-5-क, 6, 9, 9-क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304-ख, 305, 306, 312 से 318 तक 366-क, 366-ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालक के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार,

(शेष पृष्ठ 44 पर)

निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में दांडिक प्रावधान

पंचायत अधिनियम में दांडिक प्रावधान जिनके प्रति निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष सावधानियां बरतना हैं -

1. अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि पंचायत को कोई निर्वाचित प्रतिनिधि यदि आपराधिक मामलों में ग्रसित हो जाता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप विरचित होने पर उसे पद से निलंबित किया जा सकेगा। अर्थात केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा उस कथिप अपराध के बारे में आरोप विरचित (Charge Framed) किया जाना अनिवार्य आरोप है।

धारा 39 पंचायत के पदधारी का निलम्बन - (1) विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को पद से निलम्बित कर सकेगा - (क) जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधि. संख्याक 45) के अध्याय-5-क, 6, 9, 9-क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304-ख, 305, 306, 312 से 318 तक 366-क, 366-ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार, दमन सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किये गये हैं, या (ख) लुप्त की गई।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये निलंबन आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को दस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे। यदि निलंब आदेश की पुष्टि राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया समझा जाएगा।

(3) यथास्थिति ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन निलम्बित कर दिये जाने की दशा में, संबंधित पंचायत का सचिव या मुख्यकार्यपालन अधिकारी, पंचायत का एक विशेष सम्मिलन तत्काल बुलायेगा किन्तु जो ऐसी रिक्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात हो और सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेगा जो अस्थायी रूप से यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष का पद धारण करेगा और ऐसा स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष, उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलम्बन चालू रहता है यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त कर्यव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। परन्तु यदि सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य या इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की महिला के आरक्षित है तो, स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष उसी प्रवर्ग के सदस्यों में से निर्वाचित किया जावेगा।

परन्तु यह और भी कि जहाँ सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिला के लिये आरक्षित है और पंचायत में उस प्रवर्ग की अन्य कोई महिला सदस्य नहीं है, जिसे यथास्थिति स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सके, वहाँ अन्य आरक्षित प्रवर्गों की किसी अन्य महिला सदस्य को यथास्थिति स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, किसी ऐसी अन्य पंचायत के सदस्य या पदधारी के पद से भी तत्काल निलम्बित हो जाएगा जिसका कि वह सदस्य या पदधारी है, ऐसा व्यक्ति, अपने निलम्बन के दौरान, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिये निरर्हित होगा।

विहित प्राधिकारी -

ग्राम पंचायत के मामले में - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जनपद पंचायत के मामले में - कलेक्टर/अति. कलेक्टर
जिला पंचायत के मामले में - संभागीय कमिश्नर/अति. कलेक्टर

2. पद से हटाना - राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे किसी निर्वाचित पदधारी को किसी भी समय पद से हटा सकेगा।

(क) यदि वह कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया जाए। (ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है।

किन्तु कारण बताने का अवसर देने व संबंधित द्वारा प्रस्तुत जवाब का समुचित परीक्षण उपरांत ही कोई निर्णय पारित किया जाएगा। धारा 40 पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना - (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगा -

(क) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या

(ख) यदि उसका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है,

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक की उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाए।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिये 'अवचार' के अंतर्गत है -

(क) ऐसा कोई कार्य जिसका

(एक) भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता पर, या

(दो) राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो,

(तीन) स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा।

(ग) पंचायत के किसी पदधारी द्वारा पंचायत में अपने किसी रिश्तेदार के लिये नियोजन प्राप्त करने के लिये अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रत्यक्षत; या अप्रत्यक्षत; प्रयोग करना या किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुँचाने के लिये कोई कार्यवाही करना जैसा कि किसी प्रकार का कोई पट्टा देना उनके माध्यम से पंचायत में किसी कार्य को करवाना। परन्तु यह और भी कि जाँच में अन्तिम आदेश संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर पारित किया जाएगा और जहाँ लम्बित प्रकरण 90 दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहां विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों से सूचित करेगा और जांच के निपटारे के लिये समय में वृद्धि करने का अनुरोध करेगा किन्तु समय में ऐसी वृद्धि 30 दिन से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नातेदार" से अभिप्रेत है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, सास, श्वसुर, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्र-वधु।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिये भी छह वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित हो जाएगा।

विहित प्राधिकारी -

ग्राम पंचायत के मामले में - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

जनपद पंचायत के मामले में - कलेक्टर/अति. कलेक्टर

जिला पंचायत के मामले में - संभागीय कमिश्नर/अति. कलेक्टर

3. हानि या धन का दुरुपयोग के लिये उत्तरदायित्व - पंचायत के किसी निर्वाचित पदधारी द्वारा उसके कर्तव्य के प्रति उपेक्षा के कारण हानि हुई है तब संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धन की वसूली की जा सकेगी।

धारा 89 हानि दुरुपयोजन के लिये पंचों आदि का दायित्व - (1) पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदधारी, अधिकारी या सेवक पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति धोर, उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। वह रकम ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिये अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जावेगी। परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त, अवसर न दे दिया गया हो।

(2) यदि संबंधित व्यक्ति रकम का संदाय नहीं करता है तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया तौर पर वसूल की जाएगी और संबंधित पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति की निधि में जमा की जाएगी।

विहित प्राधिकारी - कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर है।

4. अभिलेख वस्तु और धन की वसूली - आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्ति को जेल में विरुद्ध किया जा सकता है तथा आर.आर.सी. जारी कर धन की वसूली की जा सकती है।

धारा 92 अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति - (1) जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का कोई अभिलेख या वस्तुएँ या धन अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है तो वह, लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएं या धन, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करें, पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति को तुरन्त परिदत्त या संदत्त कर दिया जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्देशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है या धन का संदाय नहीं करता या ऐसा करने से इंकार करता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे वारन्ट के साथ जो ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए, सिविल जेल 30 दिन से अधिक न होने वाली, कालावधि के लिये परिरुद्ध रखे जाने के लिये भेज सकेगा।

(3) विहित प्राधिकारी -

(क) कोई ऐसा धन वसूल करने के लिये यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा धन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाए, और

(ख) किसी ऐसे अभिलेख या किन्हीं ऐसी वस्तुओं को वापस कराने के लिये तलाशी वारन्ट जारी कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अध्याय 7 के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हों।

(4) उपधारा (1) या (2) या (3) के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए।

(4-क) विहित प्राधिकारी द्वारा किसी मामले से संबंधित किसी अभिलेख या वस्तु या धन के लिये आरंभ की गयी वसूली, आरंभिक तारीख से छः माह के भीतर व्ययनित कर दी जाएगी।

5. कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, ऐसी कार्यवाही आरम्भ की जाने से छह वर्ष की कालावधि के लिये किसी पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।

विहित प्राधिकारी -
ग्राम पंचायत के मामले में - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जनपद पंचायत के मामले में - कलेक्टर/अति. कलेक्टर
जिला पंचायत के मामले में - संभागीय कमिश्नर/अति. कलेक्टर

अतः पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने आचार-व्यवहार में सदैव सजग रहना चाहिए। ऐसे कार्य से सदैव बचना चाहिए जिससे कि उनका सामाजिक जीवन कलंकित होता है।

5. धारा 100 किसी सदस्य, पदधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिये शास्ति - यदि पंचायत का कोई सदस्य या पदधारी या सेवक पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षत; या अप्रत्यक्षत; कोई वैयक्तिक अंश या हित, विहित प्राधिकारी की मंजूरी या अनुज्ञा के बिना जानते हुए अर्जित करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

6. धारा 105 बोली लगाने का प्रतिषेध - (1) पंचायत का कोई सदस्य, या सेवक या ऐसा कोई अधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करना है, ऐसे विक्रय में बेची जाने वाली किसी संपत्ति के लिये प्रत्यक्षत; या अप्रत्यक्षतः बोली नहीं लगाएगा या उसमें कोई हित अर्जित नहीं करेगा। (2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और यदि वह पंचायत का अधिकारी या सेवक है तो वह सेवा से हटाए जाने का भी दायी होगा।

❑ एन.पी. पन्थी

(पृष्ठ 41 का शेष)

दमन सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किये गये हों, उपरोक्त अयोग्यता जिस मतदाता के साथ होगी वह विधायक/सांसद के प्रतिनिधि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन पंचायत के केवल उसी सम्मिलन के लिये वैध होगा जिस सम्मिलन के लिये वह नामांकित किया गया है परन्तु यह कि एक से अधिक सम्मिलन के लिये भी नाम-निर्देशन विधिमान्य होगा, यदि विधानसभा सदस्य या संसद सदस्य की आगामी सम्मिलनों में भाग लेने की असमर्थता बनी रहती है या असमर्थता बने रहने की संभावना है। तब ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिनिधि उन सम्मिलनों के लिये भी प्रतिनिधि नामांकित माना जावेगा।

विधायक या सांसद द्वारा नामांकन किये जाने पर पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नाम-निर्देशन प्राप्त होने पर उसकी अभिस्वीकृति लिखित में देंगे। प्रतिनिधि की अर्हता के संबंध में कोई विवाद, नाम-निर्देशन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उसके कारणों का उल्लेख करते हुए यथास्थिति विधानसभा सदस्य का या संसद सदस्य की जानकारी में लिखित में लाया जाएगा। विधानसभा सदस्य या संसद सदस्य ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, या तो प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन को बदल देंगे या विवाद को राज्य सरकार के ध्यान में लाए जाने हेतु प्रेषित करेंगे और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिनिधि सम्मिलन में भाग लेने के लिये और उसमें विचार-विमर्श करने के लिये पात्र होगा, किन्तु सम्मिलन में अपना मत देने का पात्र नहीं होगा। प्रतिनिधि सम्मिलन में भाग लेने के लिये किसी यात्रा भत्ता या पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। प्रतिनिधि सदैव सम्मिलन के दौरान सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों से अपेक्षित अनुसार आचरण करेगा और पंचायत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को और सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा तय की गई प्रक्रिया को भंग नहीं करेगा।

उपरोक्त बाध्यता नामांकित प्रतिनिधि के लिये अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत के किसी भी पदधारी को अपना प्रतिनिधि नियुक्ति करने का प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं उसके नियमों में नहीं है।

❑ जी.पी. अग्रवाल

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और इसका महत्व

दूध में मानव के लिये आवश्यक सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में पाये जाते हैं। लेकिन यदि दूध को स्वच्छ तरीके से न निकाला जाये या उसका भंडारण स्वच्छता व सावधानीपूर्वक नहीं किया जाये तो यह काफी हानिकारक भी हो जाता है। दूध देने वाले जानवरों की समय-समय पर विभिन्न बीमारियों की जाँच कराते रहना आवश्यक है और जानवरों के आस पास सफाई रखना भी जरूरी है।

भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से हमारा स्थान प्रथम है तथा2011-12 में हमारे देश में कुल दुग्ध उत्पादन 121.8 मिलियन टन रहा है तथा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर 282 ग्राम/व्यक्ति/दिन हो गयी है।

दूध में उपस्थित गुणों के कारण यह अमृतमय पेय है। दूध में मानव के लिये आवश्यक सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में पाये जाते हैं, केवल विटामिन C को छोड़कर। लेकिन अगर दूध को स्वच्छ तरीके से नहीं निकाला जाये या उसका भंडारण सावधानीपूर्वक नहीं हो तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता है।

दूध का संदूषण -

दूध का संदूषण दो प्रकार से हो सकता है -

(1) अयन के अंदर - इसमें जीवाणु थन नली द्वारा अयन के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और दूध को खराब कर देते हैं।

(2) अयन से बाहर - शरीर से बाहर दूध में जीवाणु ग्वाले के गंदे हाथों, गंदे बर्तनों, गाय के शरीर से तथा दूषित वायु द्वारा पहुँचते हैं।

इसके अलावा विभिन्न बीमारियों जैसे थनैला-थन का रोग, क्षय रोग, ब्रूसेलोसिस आदि बीमारियों में दूध पीने योग्य नहीं रह जाता। विभिन्न पेस्टीसाइस जैसे डीडीटी एवं एल्ड्रिन का उपयोग करते समय इनके कुछ अंश पशुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं, जो बाद में दूध में मिलकर इसे विषैला बना देते हैं। पशुओं की बीमारी के उपचार में उपयोग आने वाले एन्टीबायोटिक भी दूध में एन्टीबायोटिक रेसिड्यू के रूप में आ जाते हैं तथा मानव शरीर में एन्टीबायोटिक रेजिस्टेन्स पैदा करते हैं।

स्वच्छ दूध उत्पादन के तरीके - दूध देने वाले जानवरों की समय-समय पर विभिन्न बीमारियों जैसे थनैला, क्षय रोग, ब्रूसेलोसिस आदि बीमारियों के जाँच होती रहनी चाहिये। जिन जानवरों में उपरोक्त बीमारियाँ होने के संकेत हों उन्हें अन्य जानवरों से अलग करके उनका इलाज करवाना चाहिये। गाय का शरीर, अयन तथा थन का दूध दोहते समय साफ होने चाहिये। इसके लिये अयन तथा थनों को दो-तीन बार साफ पानी से धोयें। पानी में डिटॉल या सेवलॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

दूध देने वाले जानवरों का समय-समय पर टीकाकरण करवाना चाहिये जिससे उनकी विभिन्न बीमारियों जैसे खुरपका एवं मुंहपका रोग, गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर आदि से रक्षा हो सके।

दूध दोहने का कमरा - दूध दोहने के लिये अलग से कमरा होना चाहिये जिसकी दीवार, फर्श, नालियाँ साफ होनी चाहिये। बीमारियों के मौसम में डिसइन्फेक्टेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग तब ही करें जब जानवर कमरे से बाहर हों। कमरे में पर्याप्त प्रकाश के लिये रोशनदान, खिड़कियां आदि होनी चाहिये जिससे शुद्ध हवा तथा प्रकाश प्रवेश कर सके।

स्वस्थ तथा साफ ग्वाला - ग्वाला स्वयं बीमारियों से ग्रसित

न हो तथा दूध दोहते समय इसके हाथ सूखे तथा साफ होने चाहिये। दूध दोहने के पहले ग्वाला अपने हाथों को डिटॉल या सेवलॉन के पानी से साफ करे। इसके अलावा ग्वाले के कपड़े एवं जूते साफ होने चाहिये। ग्वाले को दूध दोहते समय थूकना नहीं चाहिये तथा उसे किसी भी तरह का धूम्रपान जैसे - बीड़ी, सिगरेट या गुटका आदि का सेवन नहीं करना चाहिये। ग्वाले की विभिन्न बीमारियों के लिये समय-समय पर जाँच होती रहनी चाहिये, बीमार ग्वाले को दूध दोहने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

साफ एवं शुद्ध बर्तन

- सर्व प्रथम बर्तनों को साफ पानी से धोना चाहिये।

- बर्तनों को साफ करने के लिये लाल दवा का प्रयोग करना चाहिये।

- अंत में बर्तनों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद उन्हें सूर्य के प्रकाश में सूखने के लिये रख दें।

उपरोक्त तरीके अपनाकर पशुपालक स्वच्छ, साफ तथा कीटाणुरहित दूध का उत्पादन कर सकते हैं।

इस दूध के सेवन से हमारे बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं, बीमारों तथा हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी तथा यह खाद्य सुरक्षा में योगदान देगा।

❑ जितेन्द्र कुमार शर्मा

भूसा उपचार से दुग्ध उत्पादन बढ़ा

शाजापुर जिले के बुरलाय गाँव के कृषक श्री शंकरसिंह के दुधारू पशु गर्मियाँ आने पर बहुत कम दूध देने लगते थे। उनका दुग्ध उत्पादन आधे से भी कम हो जाता था। ऐसा ही गाँव के अन्य कृषकों के पशुओं के साथ भी होता था। जो कृषक दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे, उनकी आय पर इसका गहरा असर पड़ता था। श्री शंकरसिंह की मुलाकात एक दिन पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. अरविन्द महाजन से हुई। श्री महाजन ने उन्हें पशुचारा का यूरिया उपचार करने की सलाह दी। यूरिया नाम सुनकर शंकरसिंह शंका में पड़ गए कि यूरिया से दुग्ध उत्पादन का क्या संबंध हो सकता है। श्री महाजन ने उनकी शंका का समाधान किया और बताया कि पशुचारे का यूरिया उपचार करने में डरने की कोई बात नहीं है। श्री महाजन ने उनके गाँव में भूसा उपचार का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अंतर्गत प्रदर्शन के लिये आवश्यक तैयारी की गई।

उपचार विधि -

भूसा उपचार प्रदर्शन के लिये भूसा, यूरिया और पानी डालने का झारा और प्लास्टिक शीट का इंतजाम किया गया। 1000 किलो भूसे में 40 किलो यूरिया और 400 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक अनुपयोगी पशु हौद में दबा-दबा कर भूसा भरा गया। निर्धारित मात्रा में भूसे में यूरिया मिलाया गया। यूरिया का घोल बना कर झारे की मदद से भूसे पर परत दर परत छिड़का गया। इसे प्लास्टिक शीट से21 दिनों तक ढक कर रखा गया। 21 दिन बाद प्लास्टिक शीट हटाने पर सुनहरे रंग का उपचारित भूसा निकल आया। उपचारित भूसे की कुछ मात्रा जमीन पर प्लास्टिक शीट बिछा कर फैला दी गई। यह भूसा पशुओं ने चाव से खाया। शुरू में दो किलो ग्राम भूसा दिया गया। फिर मात्रा बढ़ा कर 3-4 किलोग्राम तक पशुओं को दी गई।

उपचारित भूसा खाने के पश्चात् पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ने लगा और सामान्य से भी अधिक हो गया। डॉ. महाजन ने बताया कि पशु आहार के लिये हरा चारा आदर्श भोजन है। लेकिन यह वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहता। गर्मियों में ज्यादातर गेहूँ का भूसा पशुओं को खिलाया जाता है। इस भूसे में पोषक तत्व बहुत कम रहते हैं। सामान्यतः भूसे में प्रोटीन की मात्रा 4 प्रतिशत होती है। उपचार के पश्चात यह बढ़कर9 प्रतिशत तक हो जाती है। पशु इसे चाव से खाते हैं और पूरा खत्म कर देते हैं। इसमें चारे की बरबादी भी नहीं होती और पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

वर्ष 2011-12 में परियोजना के अंतर्गत भूसा उपचार के 6080 प्रदर्शन किए जा चुके हैं।

❑ चन्द्रशेखर साकल्ले

'मर्यादा अभियान' में दाण्डिक प्रावधान भी हो

प्रदेश में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मर्यादा अभियान' पर हमें इस माह भी कुछ पत्र मिले हैं। 'मर्यादा अभियान' के महत्व को दर्शाता एक पत्र हमें कालाखेत मन्दसौर से वीरेन्द्र जैन ने लिखा है। ऐसा ही एक पत्र छनेरा (हरसूद) से श्यामलाल डोंगरे ने लिखा है जिसमें दाण्डिक प्रावधानों की वकालत की गई है। आप भी यदि किसी सरकारी योजना अथवा जनकल्याणकारी कार्यों पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो हमें उपयोगी सुझाव अथवा सवाल हमें तुरन्त लिख भेजें।

'मर्यादा अभियान' दाम्पत्य सुख देगा

सम्पादक जी! गैरतगंज, जिला रायसेन के डुंगरिया गाँव के छब्बीस वर्षीय जगदीश लोधी की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत रायसेन कलेक्टर कॉलोनी में रहने वाली सविता से हो गई थी। शादी के बाद सविता को जब यह पता चला कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है तो सविता ने ससुराल छोड़ दिया। अब जगदीश ने पंचायत से अपने घर में शौचालय बनवाने की अनुमति और अनुदान चाहा है, एक योजना ने उसकी शादी कराई थी अब यह योजना दाम्पत्य सुख देगी।

वीरेन्द्र जैन
कालाखेत, जिला मन्दसौर

खुले में शौच करने वाले दण्डित हों

सम्पादक जी! राज्य सरकार तो मर्यादा अभियान के माध्यम से खुले में शौच जैसी अस्वास्थ्यकर और शर्मनाक व्यवस्था को ध्वस्त करने का हरसम्भव प्रयत्न कर रही है मगर गाँवों में यह समस्या हल ही नहीं हो रही है। मेरी अपनी राय है कि पंचायतें अपने प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर खुले में शौच करने वाले सभी ग्रामीणों को दण्डित करें तभी इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण होगा और स्वास्थ्य रक्षा हो सकेगी।

श्यामलाल डोंगरे
छनेरा (हरसूद) जिला हरदा

इन अर्थों में सी.एम. सच्चे 'कामरेड' हैं

सम्पादक जी! मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में श्रम विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में यह घोषणा की कि आने वाले शहरी जनदर्शन कार्यक्रमों में वे दौरा करते समय शहरी कामगारों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री की यह सोच बताती है कि राजनैतिक अर्थों में भले ही वामपंथी न हों मगर इन अर्थों में तो वे सच्चे कामरेड हैं और सर्वहारा वर्ग की चिंता उन्हें व्यापती है।

सर्वेश देसाई
ज्योति नगर, उज्जैन

चिट्ठी चर्चा

महापुरुषों का पुण्यस्मरण अब एजेण्डे में शामिल

ग्रामसभाओं में स्वतंत्रता दिवस पर देश के महापुरुषों के स्मरण को ग्रामसभा का मुख्य एजेण्डा बनाये जाने पर इस बार हमें प्रशंसा से भरी बीसियों चिट्ठियाँ मिली हैं। बड़वानी जिले में नगू गाँव से जयेन्द्र माण्डलिक लिखते हैं कि वे जब गाँवों में अध्यापन करते थे तब स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में तो बाकायदा भाषणों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महान संतों और समाज सुधारकों को याद किया जाता था मगर गांव में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्राय; इस प्रकार की चर्चा नहीं हो पाती थी। माण्डलिक सर बताते हैं सेवानिवृत्ति के बाद सरपंच और पंचायत सचिव के सहयोग से गाँव में भी स्वतंत्रता दिवस पर महापुरुषों का पुण्य स्मरण आरम्भ हो गया। अब राज्य सरकार ने जब महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाले जाने को ग्राम सभा के एजेण्डे में शामिल कर लिया है तो प्रत्येक ग्रामसभा देश के उन महापुरुषों का पुण्य स्मरण कर रही है इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसी आशय की चिट्ठी हमें दतिया से नरेन्द्र सिंह दांगी और पन्ना से अतुल खरे ने भी लिखी है।

शाजापुर जिले के बेरछा कस्बे से सत्तर वर्षीय मदनलाल शर्मा ने अपनी चिट्ठी में प्रदेश में लागू माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्रदेश के कुछ जिलों में अनुविभाग स्तर पर सुलह अधिकारियों के पैनल गठित किये जाने पर प्रसन्नता जाहिर की है। शर्माजी ने इन सुलह अधिकारियों के नाम पंचायिका में प्रकाशित किए जाने की भी सराहना की है। इसी अधिनियम की प्रशंसा की एक चिट्ठी हमें इन्दौर के एक व्यवसायी हंसमुख भाई रमणिक भाई गांधी ने भी लिखी है। श्री गांधी का मानना है कि बूढ़े माता-पिता के भरण-पोषण और कल्याण के लिये यह अधिनियम सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है। इस मामले में सरकार को चाहिए कि वो इस कानून के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखे तथा अमल में ढिलाई वापरने वाले सरकारी अमले पर सख्त कार्रवाई करे। पेशे से डायटीशियन मन्दसौर की डॉ. कोमल भण्डारी पंचायिका में पोषण खासतौर पर बच्चों के पोषण से जुड़ी सामग्री का पुनर्प्रकाशन चाहती हैं। डॉ. भण्डारी का मानना है कि हिन्दी प्रदेशों में आज भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रवचन वाले भाव में सुना जाता है और इसी कारण प्रदेश में विशेष रूप से गाँवों में कुपोषणजन्य बीमारियाँ आसानी से फैल जाती हैं।

❑ शुभम दुबे

बात पते की -

नया इतिहास

नर्मदा जल से बहेगी क्षिप्रा अविरल।
कम नहीं सिंहस्थ में होगा कभी जल।।
जोड़ कर नदियाँ नया इतिहास रच दें -
बाढ़ से बचने का है आज मौजूदा हल।।

प्रदीप शुक्ला, देवास

माह का पत्र

अठावा का अनुकरण जरूरी

सम्पादक जी! आलीराजपुर जिले के अठावा गाँव में पन्द्रह साल से एक नियम पंचायत ने बना रखा है कि जो भी परिवार अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने नहीं भेजेगा उसके पिता को रोज दो घण्टे स्कूल में तब तक बाहर बैठना पड़ेगा जब तक वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा। प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों को अठावा का अनुकरण करना चाहिये क्योंकि इस नियम से गाँव में साक्षरता का प्रतिशत डेढ़ देशक में पचास से पिच्यासी हो गया है।

चन्द्रभूषण शुक्ला
देवास

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

सितम्बर 2012 के लिए इस बार विषय है -

क्या आपको मालूम है कि दो अक्टूबर को अनिवार्य ग्राम सभा होगी?

माह की कविता

तीरथ दर्शन

मनोकामना थी
तीरथ दर्शन को जायें।
जीवन सार्थक करने को
कुछ पुण्य कमाएं ।।1।।
लेकिन आड़े आ जाती थी
यह महँगाई।
तभी मुख्यमंत्री जी ने
यह एक जुगत लगाई ।।2।।
साठ पार के वृद्ध
तीर्थयात्रा पे जायेंगे।।
उन्हें कहा सरकार ने
खर्च सब हम उठायेंगे ।।3।।
आवाजाही खाना-पीना
मुफ्त मिलेगा।
गाईड के विवरण से,
वृद्धमन खूब खिलेगा ।।4।।
सत्रह तीर्थों तक हुई
पहुँच आज आसान।
तीरथ दर्शन से हुआ
वृद्धों का सम्मान ।।5।।
तीर्थाटन का देश में
था मौजूद रिवाज।।
अब जिम्मा सरकार का
प्राजोयक - 'शिवराज' ।।6।।

मनोज दुबे

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल